वर्ष-1 अंक-12, नवम्बर-2026

R.N.I.No.-UPHIN/25/A3973

मूल्य-150/- रूपए

खुशी समय

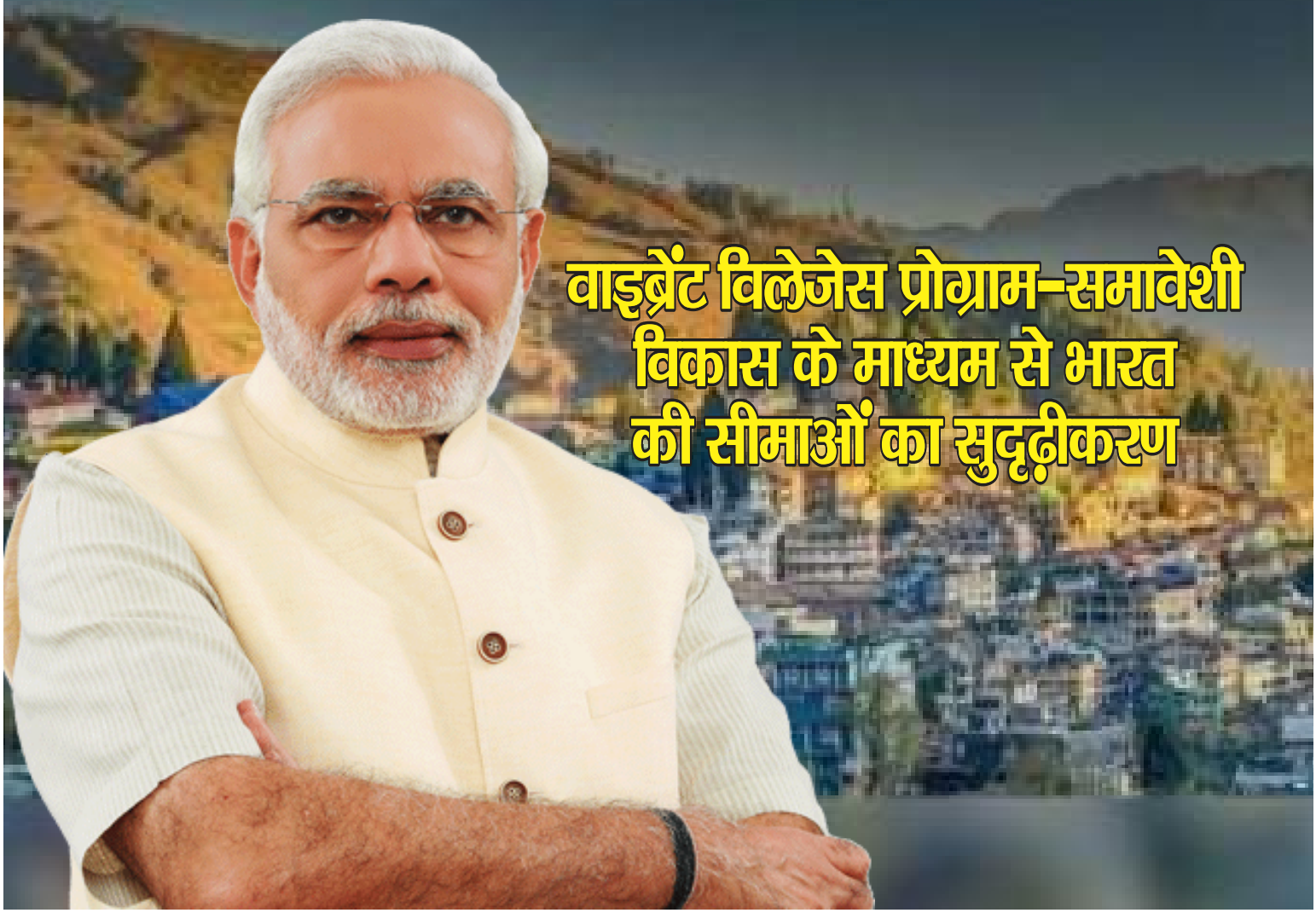

वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम–समावेशी विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं का सुदृढ़ीकरण



Dr Lal PathLabs

STAY HEALTHY SAVE MORE

TAX BENEFITS OF UPTO
INR 5000*

Swasth Fit™
TAX SAVER BASIC PACKAGE

Includes 73 parameters

*under Section 80D

APPLICABLE FOR ALL SWASTHFIT HEALTH PACKAGES

Authorized Center

KHUSHI MEDICAL & RESEARCH CENTER

S-15/107, Sec-15, Ganesh Market, Indira Nagar, Lucknow – 226016

Phone: 8090111100 / 7272001400

R.N.I.No.-UPHIN/25/A3973

खुशी समय

हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:01 अंक:12 नवम्बर-2026

संरक्षक
एस.पी. द्विवेदी

सलाहकार
शशिधर द्विवेदी
अरविन्द पाण्डेय

कार्यकारी सम्पादक
एस. एन. लाल

संपादक
अम्ब्रीश द्विवेदी

कानूनी सलाहकार
अजय श्रीवास्तव, एडवोकेट

ब्यूरो चीफ
प्रभात पाण्डेय

संवाददाता

बसन्त कुमार सिंह	-	बलिया
ऋचा	-	बाराबंकी
रवि प्रताप सिंह	-	गोरखपुर
संतोष गुप्ता	-	दिल्ली
गौरव शुक्ला	-	गोण्डा
रमेश कुमार	-	प्रयागराज

प्रशासनिक कार्यालय
336, तृतीय तल, प्रिंस काम्प्लेक्स,
हज़रतगंज, लखनऊ - 226001

स्वामी, प्रकाशक व सम्पादक अम्ब्रीश द्विवेदी ने मुद्रक सुरेश कश्यप, प्लाट संख्या-38, गाटा संख्या 99, ग्राम कपासी, लखनऊ उ.प्र. से मुद्रित करवा कर सी-695, निकट अरावली मार्ग, सेक्टर-6, इन्दिरानगर, लखनऊ उ.प्र. से प्रकाशित किया।

मो0: 8090111100

सम्पादक अम्ब्रीश द्विवेदी

पत्रिका के सभी पद अवैतनिक है। प्रकाशित लेख, समाचार, विचार व आंकड़े रचनाकारों के हैं। उन विचारों से सहमत होना संपादक के लिए आवश्यक नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय स्थल लखनऊ होगा।

इस अंक में



08

वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-समावेशी विकास...


10

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग...



14

आदि वाणी - भारत की जनजातीय...


26

भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में हुए बदलाव


33

बॉलीवुड की नई जोड़ी: म्यूजिकल लव स्टोरी ....

एशियाई खेलों में भारत

हम संतोष कर सकते हैं कि एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस प्रतिष्ठित खेल स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 85 पदक जीते। जिसमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। आइची-नागोया में संपन्न एशियाई खेलों के आखिरी दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने दमखम दिखा कर सोने के तमगों की संख्या बढ़ाई है। निस्संदेह, कह सकते हैं कि हम एशिया में पहले चार देशों में शुमार हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि भले ही हम चौथे स्थान पर रहे हैं, लेकिन इन खेलों में नंबर एक व दो रहे चीन व जापान के आगे हम कहां खड़े हैं? इस बार भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने यह भी सोचने को मजबूर किया कि आने वाले कुछ दशकों में भारत ओलंपिक की दावेदारी में कहां ठहरता है? वैसे इस बार के एशियाई खेलों से जुड़ी कुछ सुखद स्मृतियां भी हैं, मसलन तीरंदाजी में हमने नौ मेडल जीते हैं। जिसमें पांच स्वर्ण पदक शामिल हैं। सुखद यह भी है कि कुमकुम मोहोद रिकर्व कैटेगरी में भारत की पहली व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी बनीं। भारतीय खिलाड़ियों को बॉक्सिंग और रेसलिंग में क्रमशरू तीन और दो स्वर्ण पदक मिले। वहीं दूसरी ओर प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में व्यक्तिगत गोल्फ गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में अपना वर्चस्व कायम रखा।

महिला हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि बहुत खास रही। उन्होंने अनुशासन और ऊंचे मनोबल के साथ बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मौजूदा चौंपियन चीन को हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक का 44 साल का हमारा इंतजार खत्म किया। लेकिन हमारे खिलाड़ी एथलेटिक्स में हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एकमात्र स्वर्ण महिलाओं की 4 X 400 मीटर रिले रेस में हासिल हुआ। निशानेबाजों का प्रदर्शन भी उत्साह जगाने वाला नहीं रहा। इस बार हमें, पिछले ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने निराश किया। वह इस बार खाली हाथ लौटी हैं। वैसे पिछली बार चीन में हुए एशियाई खेलों से तुलना करें तो इस बार हमारा प्रदर्शन फीका रहा। तब हमने 28 स्वर्ण पदकों के साथ 106 मेडल जीते थे। इस बार सात स्वर्ण समेत कुल 21 पदकों की कमी, हमारे खेल नीति-नियंताओं के लिये एक चेतावनी जैसी है। हालांकि, यह वक्त हमारे लिये नागोया में मिली कामयाबियों का जश्न मनाने का है। लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को लेकर भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। निस्संदेह, भारत में खेलों का भविष्य चंद खिलाड़ियों की कामयाबी से तय नहीं किया जा सकता है। हमें एशिया के बाद ओलंपिक के लिये युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी होंगी। इस कामयाबी के लिये नई प्रतिभाओं की पहचान, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, मानसिक रूप से सशक्त खिलाड़ी तैयार करने तथा विश्वस्तरीय सपोर्ट सिस्टम बनाने की जरूरत होगी। इन एशियाई खेलों ने हमें हकीकत का आईना दिखाया है। अब हम अभी से वर्ष 2028 में लॉस एंजिल्स के ओलंपिक खेलों की तैयारी में जुट जाएं।

भारत और मेक्सिको ने वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते के लिए बातचीत की शुरू



मेक्सिको और भारत ने वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते (पीटीए) पर बातचीत के लिए कार्य क्षेत्र संबंधी शर्तों पर हस्ताक्षर करके अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह समझौता बातचीत के लिए एक रूपरेखा, दायरा, तौर-तरीके और योजना तय करता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करना है।

इस समझौते के साथ ही एक ऐसे पीटीए के लिए बातचीत औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद और संतुलित होगा। इसमें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, व्यावसायिक अवसर सृजित करने, निवेश प्रवाह को बढ़ाने और एक मजबूत तथा विविध आपूर्ति श्रृंखला बनाने की क्षमता है।

यह पहल जून 2025 में कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डॉ. क्लाउडिया शिनबाम के बीच हुई बातचीत का परिणाम है जिसमें दोनों नेताओं ने भारत-मेक्सिको साझेदारी को और अधिक मजबूत और गहरा करने पर सहमति जताई थी।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की यात्रा के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार तथा निवेश प्रवाह को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। यह चर्चा मेक्सिको के विदेश व्यापार उप मंत्री लुइस रोसेंडो गुटिरेज़ रोमानो के साथ हुई, जिन्होंने आर्थिक मामलों के मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड कासाबोन की ओर से इसमें भाग लिया।

कार्य क्षेत्र संबंधी शर्तों में बातचीत के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें वस्तुओं के लिए बाजार तक पहुंच, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुगमता, विवाद निपटान, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार उपाय शामिल हैं।

प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं की एक-दूसरे की पूरक क्षमताओं का लाभ उठाना और भारतीय बाजार में मेक्सिको के उत्पादों और व्यवसायों के लिए अवसरों का विस्तार करना है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से मजबूत जुड़ाव के कारण, मेक्सिको भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। सहयोग की व्यापक संभावनाओं वाले क्षेत्रों में ऑटोमोटिव, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-खाद्य, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, चिकित्सा उपकरण और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय आर्थिक एजेंडे के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने, सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के उत्पादक क्षेत्रों के बीच मजबूत संबंध विकसित करने के अवसरों की पहचान की।

दोनों पक्षों ने 2027 की पहली तिमाही के दौरान मेक्सिको के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजने की संभावना पर भी चर्चा की। यह प्रस्तावित मिशन व्यवसायों के बीच बैठकों (बी2बी बैठक) को सुविधाजनक बनाएगा, व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में मदद करेगा और दोनों देशों के उत्पादक क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा।

त्वरित न्याय, सुरक्षित समाज फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का प्रभाव



96.28% की प्रभावशाली निपटान दर के साथ, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) ने बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के मामलों में त्वरित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करके यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय में उल्लेखनीय रूप से तेजी लायी है। अकेले 2024 में, 88,902 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 85,595 मामलों का समाधान किया गया, जिससे केस बैकलॉग समाधान करने में इन अदालतों की प्रभावशीलता का पता चलता है।

एफटीएससी की आवश्यकता - एक मजबूत कानून और नीतिगत ढांचे के अस्तित्व में होने के बावजूद, देश भर के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामले लंबित हैं। कठोर सजा शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य रोक लगाना है, लेकिन यह तभी संभव है जब ट्रायल समय सीमा के भीतर पूरा हो और पीड़ितों को न्याय शीघ्र मिले। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और पॉक्सो अधिनियम जांच और ट्रायल पूरा करने के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित करते हैं, फिर भी केस बैकलॉग और सीमित न्यायिक संसाधनों के कारण देरी होती रहती है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2019 में पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में समय पर जांच और ट्रायल का मुद्दा उठाया और 25 जुलाई, 2019 को निर्देश जारी कर मामलों के शीघ्र निपटारे को अनिवार्य बना दिया। इन निर्देशों और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लागू करने के लिए, सरकार ने 2 अक्टूबर, 2019 को एफटीएससी योजना शुरू की, जिसके तहत बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की गईं।

अभी तक प्रगति - विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रबंधित एफटीएससी की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन का उद्देश्य पूरे देश में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता करना है। इस योजना के तहत, विशेष पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित कुल 790 एफटीएससी स्थापित किए जाने हैं। प्रत्येक एफटीएससी से अपेक्षा की जाती है कि समय पर न्याय तथा लंबित मामलों में कमी सुनिश्चित करने के लिए वह प्रति तिमाही 41-42 मामलों का तथा वार्षिक रूप से कम से कम 165 मामलों का निपटारा करे।

वर्तमान में, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 404 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 745 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कार्यरत हैं, जिन्होंने आज तक सामूहिक रूप से 3,06,604 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। एफटीएससी की स्थापना और कामकाज राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के



परामर्श से अपनी जरूरत और संसाधनों के अनुसार इन न्यायालयों की स्थापना करते हैं।

वित्तीय ढांचा - फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) योजना शुरू में एक वर्ष के लिए शुरू की गई थी और बाद में इसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 नवंबर, 2023 को अपनी बैठक में इस योजना को 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इस अवधि के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ₹1952.23 करोड़ है, जिसमें ₹1207.24 करोड़ केंद्रीय हिस्सा है, जिसे निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के कामकाज के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में कुल ₹200.00 करोड़ आवंटित और पूरी तरह से जारी किए गए हैं।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) योजना का वित्तपोषण केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के पैटर्न का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

लागत साझाकरण: केंद्र सरकार 60: का योगदान देती है, जबकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें 40% का योगदान देती हैं। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर (अब एक केंद्र शासित प्रदेश), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यह अनुपात 90:10 है।

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तपोषण: विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 60:40 का अनुपात लागू होता है, जबकि विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

एक न्यायिक अधिकारी और सात सहायक कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाता है और साथ ही फ्लेक्सी-अनुदान भी दिया जाता है। फ्लेक्सी-अनुदान का उपयोग दैनिक परिचालन खर्चों को पूरा करने और अदालतों को बच्चों और महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए किया जा सकता है।

प्रतिपूर्ति मोड: यह योजना प्रतिपूर्ति के आधार पर संचालित होती है, जहां संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा व्यय विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही धन जारी किया जाता है।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों ने पीड़ितों की सुविधा के लिए न्यायालयों के भीतर अंतिसंवेदनशील साक्षी अभिसाक्ष्य केंद्रों की स्थापना करने तथा दयापूर्ण कानूनी प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए न्यायालयों को बाल-अनुकूल न्यायालय बनाने के दृष्टिकोण को विशेष रूप से अपनाया है।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय भारत की न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, जो जघन्य अपराधों के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हैं। भले ही, चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन निरंतर सुधार और बुनियादी ढांचे में सुधार उनकी प्रभावशीलता बढ़ सकती है। केस बैकलॉग का समाधान करने और विशेषज्ञ-निर्देशित कानूनी कार्यवाही प्रदान करने में उनकी भूमिका पीड़ितों की वेदना और संकट को कम करने में महत्वपूर्ण है, जो कमजोर समूहों की रक्षा करने और उत्तरदायी कानूनी ढांचे के माध्यम से न्याय को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-समावेशी विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं का सुदृढ़ीकरण

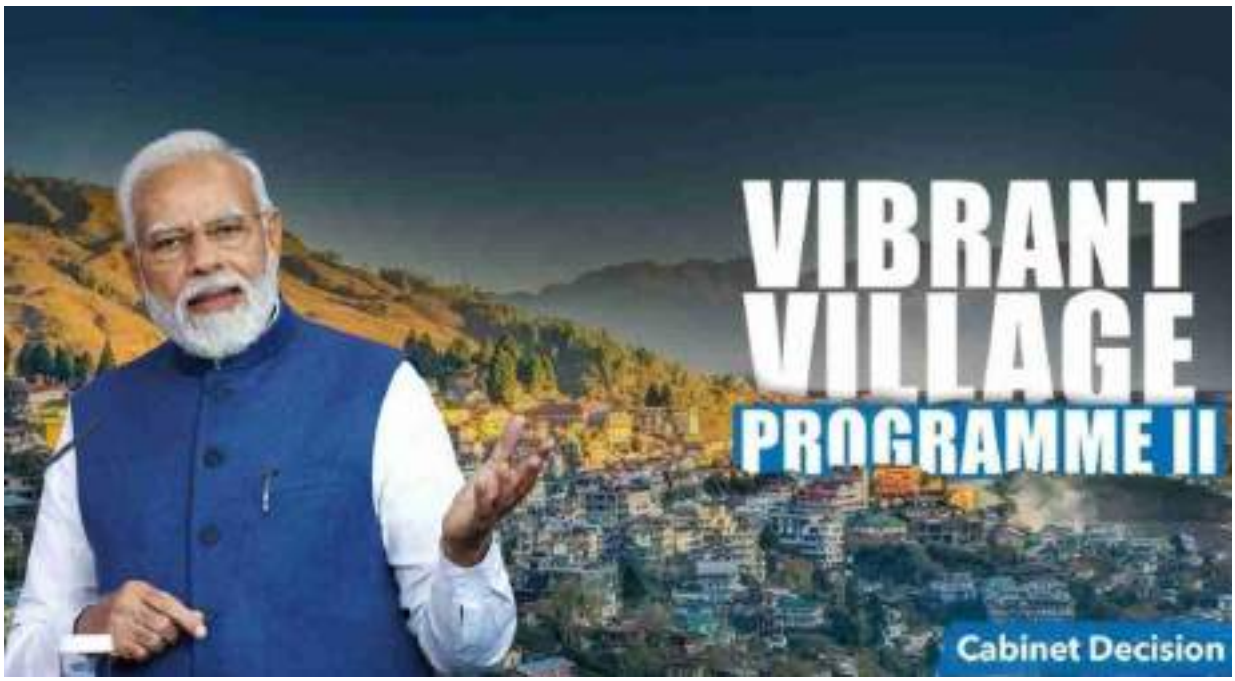

भारत सात पड़ोसी देशों के साथ 15,000 किलोमीटर (किमी) से अधिक की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे लंबा विस्तार बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किमी का है। इसके बाद चीन के साथ 3,488 किमी और पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी की सीमा लगती है। शेष सीमा नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ है। दशकों तक, कई सीमावर्ती गांव दुर्गम भूभाग, कमजोर कनेक्टिविटी, सीमित अवसंरचना और आजीविका के कम अवसरों के कारण अलग-थलग रहे। इन चुनौतियों ने पलायन को बढ़ावा दिया, जिससे सीमा के कई क्षेत्र कम आबादी वाले हो गए इन पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए 2023 में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (VVP) शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं पर चयनित गांवों के समग्र विकास में तेजी लाना है। सीमावर्ती निवासियों को सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान मानते हुए, इसका लक्ष्य जीवंत, सुरक्षित और समृद्ध सीमावर्ती समुदायों का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम इन बस्तियों को देश के अंतिम गांव के बजाय पहले गांव मानकर दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का भी प्रतीक है। उत्तरी सीमा के गांवों से शुरुआत करके, सरकार ने चरणों में पूरे स्थलीय सीमा क्षेत्र में इस कार्यक्रम का विस्तार किया है। सशक्त सीमावर्ती समुदाय सुरक्षित और मजबूत विकसित भारत/2047 की नींव हैं।

दो चरण, एक सीमावर्ती मिशन- सरकार वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को दो चरणों में लागू कर रही है, जो मिलकर भारत की पूरी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कवर करते हैं। VVP-I उत्तरी सीमा के गांवों को कवर करता है। VVP-II इसी दृष्टिकोण को अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं तक बढ़ाता है। दोनों चरणों का कुल लक्ष्य 11,639 करोड़ रुपये के संयुक्त परिव्यय से 2,616 से अधिक गांवों को कवर करना है। प्रारूप में भिन्न होते हुए भी दोनों चरणों का उद्देश्य एक ही है। VVP-I एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के साथ मिलकर लागू किया गया है, जबकि VVP-II एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित है। दोनों चरणों का उद्देश्य जीवन स्थितियों में सुधार करना, स्थानीय आजीविका पैदा करना और सीमावर्ती समुदायों को सशक्त बनाना है। ये 'पहले गांवों' को विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में विकसित करके देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य करते हैं।

VVP-I- उत्तरी सीमा समुदायों को मजबूत करना - VVP के पहले चरण की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तरी सीमा के गांवों के लिए की गई थी। इसे 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबिथू में लॉन्च किया गया था। इसमें 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉक के गांवों की पहचान की गई। इनमें से लगभग 1.42 लाख आबादी वाले 662 रणनीतिक गांवों को व्यापक विकास के लिए प्राथमिकता दी गई। ये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख हैं। इस योजना को 4,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए है। इस राशि में से 2,500 करोड़ रुपये सड़क संपर्क के लिए निर्धारित किए गए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में विकास की खाई को पाटना है। यह उन्हें देश के अन्य हिस्सों की तरह गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने

का प्रयास करता है।

VVP-I के तहत प्रमुख पहल- यह कार्यक्रम सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों, पेयजल, भरोसेमंद बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा आवश्यक स्वास्थ्य व शिक्षा के अवसंरचना का समर्थन करता है। यह आजीविका और समग्र जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन सुविधाओं और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों को भी बढ़ावा देता है।

आजीविका सहायता 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल पर व्यवस्थित है। यह सामाजिक उद्यमिता, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन व स्थानीय संस्कृति के संवर्धन और 'वन-ब्लॉक-वन-प्रोडक्ट' उद्यमों को प्रोत्साहित करती है। विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से, VVP-I ने वह वितरण मॉडल स्थापित किया जिसे दूसरा चरण अब उत्तरी सीमा के अलावा बाकी बची स्थलीय सीमाओं पर आगे बढ़ा रहा है।

VVP-II- सभी स्थलीय सीमाओं तक मॉडल का विस्तार-केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 अप्रैल 2025 को VVP-II को मंजूरी दी। पहले चरण के विपरीत, VVP-II पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित है और गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे औपचारिक रूप से 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से लॉन्च किया गया था। इस योजना के लिए 2028-29 तक के वित्तीय वर्षों के लिए 6,839 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं से सटे 334 ब्लॉकों में 1,954 गांवों को व्यापक विकास के लिए चिह्नित किया गया है। ये ब्लॉक 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। ये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर (UT) और लद्दाख (UT) हैं। उत्तरी सीमा पर मौजूद ब्लॉक, जो पहले से ही VVP-I के अंतर्गत आते हैं, उन्हें प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए बाहर रखा गया है।

VVP-II के तहत पहल-भारत सरकार ने सीमावर्ती गांवों को मजबूत करने के लिए VVP-II के तहत एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। यह योजना अवसंरचना, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं, स्मार्ट क्लासरूम, पर्यटन सर्किट और सतत आजीविका का समर्थन करती है। यह सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और दूरसंचार कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य जीवन स्थितियों में सुधार करना, आजीविका सृजित करना और लोगों को सीमावर्ती गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह एक एकीकृत विकास ढांचे के तहत वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को भारत की पूरी स्थलीय सीमा तक विस्तारित करता है।

योजनाओं को एक जगह लाने से विकास- VVP का कार्यान्वयन गांव कार्य योजनाओं द्वारा निर्देशित होता है। इसे स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सीमा-विशिष्ट, राज्य-विशिष्ट और गांव-विशिष्ट सुधारों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। यह कार्यक्रम मौजूदा मानदंडों के तहत योजनाओं को एक जगह सुनिश्चित करते हुए एक परिपूर्णता-आधारित दृष्टिकोण का पालन करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-IV के तहत सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों का विकास किया जा रहा है।

चूंकि सीमावर्ती गांवों को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति उनके समाधान के लिए योजना के दिशानिर्देशों में ढील देने की सिफारिश कर सकती है। गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। यह समन्वित योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करता है।

जमीनी स्तर पर प्रभाव- अपनी शुरुआत के बाद से, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-I ने उत्तरी सीमावर्ती गांवों में समावेशी और सतत विकास की नींव रखी है।

जुलाई 2026 तक, गृह मंत्रालय ने 3,020.32 करोड़ रुपये परिव्यय वाली 1,248 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा 1,655 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 953.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जबकि उनके द्वारा 283 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है।

VVP- अवसंरचना से परे प्रभाव-वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का प्रभाव बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर सुरक्षा, आजीविका, शासन और सामुदायिक सुदृढ़ता को मजबूत करने तक फैला हुआ है।

सुरक्षा: एक घनी आबादी वाला और आत्मविश्वास से भरा सीमावर्ती क्षेत्र सीमा सुरक्षा बलों के कार्यों में सहयोग करता है। दोनों चरणों का उद्देश्य एक मजबूत सीमावर्ती आबादी तैयार करना है जो राष्ट्र के लिए एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में कार्य करे।

जनसांख्यिकी और रिवर्स माइग्रेशन- आजीविका के अवसरों और बेहतर कनेक्टिविटी से परिवारों को सीमावर्ती गांवों में रहने की वजह मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कुरुंग कुमे, दिबांग घाटी और शी-योमी जिलों के सीमावर्ती गांवों के लोग अपने गांवों में लौट रहे हैं। यह कार्यक्रम के प्रभाव को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था- सीमावर्ती पर्यटन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और किसान उत्पादक संगठन उन क्षेत्रों में एक स्थानीय आय का आधार बना रहे हैं जहां पहले आर्थिक अवसर सीमित थे। सीमा सुरक्षा बलों द्वारा स्थानीय खरीद से गांव के भीतर ही एक सुनिश्चित बाजार मिल जाता है।

गवर्नेंस- परिपूर्णता दृष्टिकोण इन गांवों के प्रत्येक पात्र परिवार को मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं के दायरे में लाता है। ग्राम कार्य योजनाएं जिला प्रशासन को कई विभागों में उस कार्य को क्रमबद्ध रूप से लागू करने के लिए एक एकल साधन प्रदान करती हैं।

सामूहिक रूप से, ये चारों पहलू एक ही विचार को दर्शाते हैं: सीमा पर विकास और सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

कनेक्टेड और आत्मनिर्भर सीमावर्ती क्षेत्र- वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक वादा है कि भारत के सीमावर्ती समुदाय देश की प्रगति में पूरी तरह भागीदार होंगे। बेहतर वसंरचना, सतत आजीविका और सरकारी योजनाओं का एक ही जगह पर आना गांवों के पास ही अवसर पैदा कर रहे हैं। साथ ही, सीमावर्ती पर्यटन और स्थानीय उद्यम इस क्षेत्र की क्षमताओं को उजागर कर रहे हैं। जैसे-जैसे ये गांव अधिक जीवंत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेंगे, वे भारत की सीमाओं को मजबूत करते रहेंगे और 2047 तक एक सुरक्षित, समावेशी और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग विपक्ष का हठ और संस्थाओं की साख



भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा उसकी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली रही है। वैश्विक पटल पर जब भी भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता की मिसाल दी जाती है, तो निर्वाचन सदन यानी भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। किंतु, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर वर्तमान में जो अभूतपूर्व राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध पैदा हुआ है, उसने इस प्रतिष्ठित संस्था की निष्पक्षता को इतिहास के सबसे गंभीर दोराहे पर ला खड़ा किया है। देश की राजनीति इस समय इस सवाल को लेकर सुलग रही है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगना कांग्रेस और समूचे विपक्ष की एक सैद्धांतिक लड़ाई है, या फिर यह उनकी सोची-समझी राजनीतिक विवशता और नैरेटिव सेट करने की मजबूरी का हिस्सा है? केरल विधानसभा द्वारा देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना और कांग्रेस द्वारा सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा खोलना यह दर्शाता है कि यह विवाद महज एक प्रशासनिक विसंगति नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है।

इस विवाद की शुरुआत 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खोजी रिपोर्ट से हुई, जिसने निर्वाचन आयोग के भीतर के बंद दरवाजों के मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण यानी 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' को लेकर आयोग के भीतर ही गहरा बिखराव था। दावा किया गया कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - ने पिछले 10 महीनों में मतदाता सूची से नाम हटाने, नए नाम जोड़ने और डेटा प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर करीब 14 बार औपचारिक और लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। लोकतंत्र का स्थापित नियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस यह स्पष्ट करती हैं कि निर्वाचन आयोग में कोई भी निर्णय बहुमत या सर्वसम्मति से होना चाहिए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों की चिंताओं और आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एकतरफा फैसले लिए। जब किसी संवैधानिक संस्था के भीतर ही इस स्तर का आंतरिक असंतोष और अविश्वास सतह पर आ जाए, तो उसकी साख पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है।

विपक्ष के इस उग्र आंदोलन के केंद्र में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' की प्रक्रिया है। इस कवायद के तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों से लगभग 13.30 करोड़ नामों को हटा दिया गया है, जो भारत के कुल मतदाता वर्ग का लगभग 13 प्रतिशत है। चुनाव आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया बोगस, दोहरे और अपात्र मतदाताओं को

हटाने तथा सूची को शुद्ध करने के लिए की गई वैधानिक प्रशासनिक कार्रवाई है। इसके विपरीत, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसे 'कृत्रिम हेरफेर' और 'वोट चोरी' की संज्ञा दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए जानबूझकर एक निश्चित वर्ग और विपक्ष के पारंपरिक झुकाव वाले मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ताकि आगामी चुनावों के परिणामों को प्रभावित किया जा सके। राहुल गांधी का दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जाना और शशि थरूर जैसे नेताओं द्वारा संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की चेतावनी यह स्पष्ट करती है कि विपक्ष इस मुद्दे को तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए आमादा है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और सूक्ष्म पहलू यह है कि आखिर कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर इस कदर क्यों अड़ी है? क्या ज्ञानेश कुमार का पद से हट जाना ही इस समस्या का अंतिम समाधान है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस आक्रामक रुख के पीछे कांग्रेस की रणनीतिक और राजनीतिक मजबूरियां छिपी हुई हैं। लगातार चुनावी चुनौतियों और कई राज्यों में सत्ता से बाहर रहने के बाद, कांग्रेस के लिए अपने कार्यकर्ताओं के भीतर यह विश्वास जगाना जरूरी है कि उनकी वैचारिक या सांगठनिक कमजोरी के कारण पराजय नहीं हो रही है। ज्ञानेश कुमार पर सीधा और तीखा हमला करके राहुल गांधी देश के मानस में यह नैरेटिव सेट करने में सफल हो रहे हैं कि 'हम चुनाव मैदान में परास्त नहीं हो रहे, बल्कि सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के तंत्र का दुरुपयोग करके हमें जानबूझकर हरवाया जा रहा है'। यदि भविष्य में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, तो विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी नैतिक जीत बताएगा और यह साबित करने की कोशिश करेगा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया ही दूषित थी।

इसके साथ ही, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के भीतर समय-समय पर क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच वैचारिक और सीटों के बंटवारे को लेकर अंतर्विरोध उभरते रहते हैं। ऐसे समय में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साझा, राष्ट्रीय और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दे की आवश्यकता होती है। 'मतदाता के अधिकार' और 'वोट की चोरी' एक ऐसा संवेदनशील विषय है, जिस पर वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और आम आदमी पाटर्ी समेत पूरा विपक्ष आंख मूंदकर एक सुर में खड़ा हो सकता है। कांग्रेस के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व करना गठबंधन के भीतर अपनी धुरी वाली भूमिका को बनाए रखने की विवशता भी है।

इसके अतिरिक्त, राहुल गांधी ने 2023 में पारित उस कानून (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023) की धारा 16 को विशेष रूप से निशाने पर लिया है, जो चुनाव आयुक्तों को उनकी सेवा के दौरान और बाद में किसी भी कानूनी जांच या अदालती कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति (ब्लैकेट इम्युनिटी) प्रदान करता है। विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए हैं कि ऐसा संरक्षण तो राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी प्राप्त नहीं है। कांग्रेस इस सुरक्षा कवच को लोकतांत्रिक जवाबदेही के सिद्धांत के खिलाफ बताकर सरकार की मंशा पर सीधे सवाल उठा रही है।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे 'हार के डर से पैदा हुई हताशा' करार दिया है। भाजपा का तर्क है कि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है, जहां विचारों की भिन्नता और आंतरिक आपत्तियां एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण हैं, न कि किसी साजिश का हिस्सा। लाखों बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सत्यापन को 'वोट चोरी' कहना उन जमीनी कर्मचारियों के परिश्रम का अपमान है। इसके अलावा, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना कोई सरल खेल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को (यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करके)। वर्तमान संसद के संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए महाभियोग को तार्किक परिणति तक पहुंचाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसके बावजूद, यदि विपक्ष सड़कों पर पुतले फूंक रहा है और संसद ठप करने की चेतावनी दे रहा है, तो उसका लक्ष्य ज्ञानेश कुमार को हटाना कम, बल्कि उनके बहाने सरकार को जन-अदालत में कटघरे में खड़ा करना ज्यादा है।

अब यह गंभीर और संवेदनशील विवाद देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल निलंबित करने के अंतरिम आदेश से तो इनकार कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। माननीय अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आयोग के भीतर आम सहमति या बहुमत के नियमों की अनदेखी कर एकतरफा फैसले लेने के साक्ष्य मिलते हैं, तो न्यायालय उन फैसलों की समीक्षा करने या उन्हें वापस लेने पर विचार कर सकता है। यह रुख इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस संस्था की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर है।

अंततः, लोकतंत्र केवल संख्याओं, बहुमत के आंकड़ों या संसद की सीटों का जोड़-घटाव नहीं है। लोकतंत्र की आत्मा देश की संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और उन संस्थाओं के प्रति आम नागरिक के अटूट विश्वास में बसती है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया ही हर चुनाव से पहले संदेह के कोहरे में घिर जाएगी, तो जनता का इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाएगा। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भले ही कांग्रेस के लिए चुनावी नैरेटिव की एक 'मजबूरी' हो, लेकिन चुनाव आयोग की आंतरिक शुचिता और पारदर्शिता को बहाल करना भारतीय लोकतंत्र की 'महती आवश्यकता' है। इस राजनीतिक संग्राम का निपटारा सड़कों के कोलाहल या राजनीतिक पुतले फूंकने से नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत में साक्ष्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में ही होना चाहिए, ताकि निर्वाचन आयोग की धवल चादर पर लगा यह दाग साफ हो सके।

पीसीसी प्रेसीडेंट-मोना को ही था होना

ब्राम्हणों के साथ महिलाओं को जोड़ने की मुहिम



विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा मोना को प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। जबकि कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को सौंपी गयी है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस में हाल में हुई नियुक्तियों में जातीय समीकरणों का खासा ध्यान रखा गया है। तीसरी बार विधानसभा पहुंची आराधना मिश्रा मोना को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर जहां सवर्णो में विशेष रूप से ब्राम्हणों को साथं आने का आव्हान किया गया है वहीं सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अल्पसंख्यकों को भी यह संदेश दिया गया कि इस वर्ग की हिमायती अकेली सपा या बसपा नहीं है। जबकि विधानमंडल दल में नेता पद पर आराधना मिश्रा की जगह अब वीरेन्द्र चौधरी को दायित्व सौंपकर पिछड़ों को भी बताने की कोशिश हुई कि सपा भाजपा ही नहीं कांग्रेस में पिछड़ों का पूरा सम्मान है। प्रदेशप्रभारी पद पर पहले ही दलित वर्ग से राजेन्द्र पाल गौतम की नियुक्ति हो चुकी है। सैतीस सालों से राजनीतिक वनवास भोग ही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्य लड़ाई में शामिल होने की है। इन सैतीस सालों अब तक 18 अध्यक्ष हुए इसमें अगड़ों पिछड़ों दलितों सबकों मौंका मिला लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर संगठन की बागडोर एक-एक करके सभी वर्गो को सौंपी गयी उसके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेली लड़ी तो उसे मात्र दो सीटे मिली। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने सपा की साईकिल पर सवार होकर अपने छह सांसद संसद भेजे। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों से दोचार होने के लिए एक बार फिर कांग्रेस और सपा का साथ होने वाला है। सीटों के बंटवारें को लेकर दोनों दलों में बातचीत हो रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अकेले दम पर सभी सीटों पर अकेले लडनें की बात प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम कह रहे है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व को ही लेना है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने अगर कांग्रेस की एकला चलों की राह पर चलती है तो उसके लिए यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। अकेले लडकर उसने 2022 में देख लिया जब उसके मात्र दो सदस्य निर्वाचित हुए थे जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका आंकड़ा आधा दर्जन पहुंच गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस सपा का एलायंस बरकरार रहा तो इसबार भाजपा को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। बसपा पहले से ही अकेले दम पर चुनाव लडने की बात कह रही है। अगर बसपा अकेले चुनाव में आती है तो इसका बड़ा नुकसान भाजपा से ज्यादा सपा कांग्रेस गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। पिछड़ों और दलितों का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ है। बसपा की मंशा अपनी जीत से ज्यादा सपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की है। यदि औवेसी की भी इंट्री हुई तो सपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बसपा की मंशा को बल मिलेगा। सपा और कांग्रेस के सामने मुस्लिम वोट बैंक को सहेजने की है। इन दोनों दलों को लगता है कि इसी वोट बैंक के सहारें भाजपा को जादुई संख्या पार करने से रोका जा सकता है।

कांग्रेस के दो प्रदेशाध्यक्ष पीएम और पांच सीएम बने- प्रदेश में कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी जिसके दो प्रदेशाध्यक्ष रहे लोगों को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने से पहले दो बार(1927-1928) और (1939-1940) तक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे जबकि 1989 में गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1984-1985) तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष बनने से पहले वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे गोविन्द बल्लभ पंत (1925-1926) तक, चन्द्रभानु गुप्त (1960), कमलापति त्रिपाठी (1965-1971),तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। चार बार मुख्यमंत्री रहने के बाद नारायण दत्त तिवारी को भी दो बार संगठन का नेतृत्व करने का मौका मिला। वे (1997-1998) और (1994) में प्रदेशाध्यक्ष रहे। यूपी कांग्रेस के प्रमुख रहने के बाद वे उत्तराखण्ड के सीएम बने।

आराधना मिश्रा कांग्रेस की पांचवी महिला अध्यक्ष- प्रदेश में अभी तक कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक पांच महिलाओं को संगठन का नेतृत्व करने का मौका दिया। यह सिलसिला आजादी से पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है। सबसे पहले (1914-1915) में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष बनी थी। उसके बाद यह बागडोर दो बार डा.राजेन्द्री कुमारी बाजपेयी को (1971-1972) और (1990-1991) में मिली। बाद में वे पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रही। उनके बाद दो बार प्रदेशाध्यक्ष पद पर वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई को इसी पद पर आसीन होने का मौका मिला। वे (1977-1979) और (1982) में प्रदेशाध्यक्ष रही। डा.रीता बहगुणा जोशी कांग्रेस की ऐसी पहली महिला प्रदेशाध्यक्ष (2007-2012) रही जिन्हे लगभग पांच साल तक इसपद पर रहने का अवसर मिला। वे कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हुई और योगी सरकार में मंत्री रहने के बाद प्रयागराज से सांसद भी रही।

डिजिटल शिक्षा को घर-घर पहुंचाने में पीएम ई-विद्या बना पढ़ाई का संसाधन



प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल को लगातार विस्तार दे रही है। सरकार का जोर है कि डिजिटल संसाधन विद्यार्थियों की पहुंच से दूर रहने वाली सुविधा न होकर सीखने का सहज, सुलभ और प्रभावी माध्यम बनें। 2017 से पहले जहां डिजिटल शिक्षा केवल बड़े प्राइवेट स्कूलों तक सीमित थी, वहीं अब प्रदेश सरकार उसे परिषदीय विद्यालय के हर बच्चे के घर तक पहुंचा रही है।

शिक्षा के इस क्षेत्र में पीएम ई-विद्या डिजिटल प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों और शिक्षकों को पढ़ाई से जुड़े आवश्यक संसाधन एक ही मंच पर निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश सरकार की डिजिटल शिक्षा नीति का लक्ष्य तकनीक को शिक्षा का विकल्प बनाने के साथ-साथ उसे सीखने की प्रक्रिया का प्रभावी सहयोगी बनाना है। पीएम ई-विद्या इसी सोच को व्यापक डिजिटल पहुंच में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पीएम ई-विद्या को विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा के एक उपयोगी मंच के रूप में देखा जा रहा है। इसमें पढ़ाई से जुड़े आवश्यक डिजिटल संसाधनों तक एक ही स्थान से पहुंच बनाने की सुविधा है। इससे विद्यार्थियों को सीखने के लिए अलग-अलग माध्यमों पर निर्भरता कम होगी और डिजिटल सामग्री तक पहुंच अधिक सहज होगी। पहले बच्चे को एक विषय के लिए एक ऐप और दूसरे विषय के लिए दूसरा ऐप खोजना पड़ता था, लेकिन अब पीएम ई-विद्या पर एक ही जगह पर वीडियोलेक्चर, ई-बुक्स, ऑडियोकंटेंट और अन्य पठन सामग्री मिल रही है। शिक्षक भी उपलब्ध डिजिटल संसाधनों को अपनी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के सहयोगी माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कक्षा-शिक्षण और अधिक रोचक बनेगा।

पीएम ई-विद्या की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि डिजिटल लर्निंग से जुड़े सभी संसाधन पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध हैं। इससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठे डिजिटल माध्यम का उपयोग कर अध्ययन कर सकते हैं। गांव के उस बच्चे के लिए भी यह वरदान है, जिसके पास महंगी कोचिंग या किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। वह अपने माता-पिता के फोन पर ही पीएम ई-विद्या से पढ़ सकता है। डिजिटल संसाधनों की आसान उपलब्धता विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक ही मंच पर सामग्री उपलब्ध होने से डिजिटल शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और प्रभावशाली बनाने में मदद मिलेगी।

पीएम ई-विद्या ऐपएंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड उपयोगकर्ता इसे गूगल प्ले स्टोर तथा आईओएस उपयोगकर्ता एप्पलऐपस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे विभिन्न डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाले विद्यार्थी और शिक्षक इस मंच से जुड़ रहे हैं। यानी चाहे सस्ता एंड्रॉयड फोन हो या आईफोन, हर बच्चे की पढ़ाई अब एक ऐप पर होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी पीएम ई-विद्या ऐप के बारे में जानकारी साझा की जा रही है, जिससे विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इससे जुड़ सकें। एससीईआरटी के माध्यम से डिजिटल संसाधनों को विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विद्यालयी शिक्षण में इनका अधिकतम उपयोग हो।

प्रदेश सरकार प्रदेश के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। पीएम ई-विद्या जैसे प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पढ़ाई से जुड़े आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और प्रभावी बनाते हैं। यह पहल ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास और निपुण भारत के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब तकनीक का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच रहा है और डिजिटल शिक्षा उनके सीखने का मजबूत माध्यम बन रही है, जिससे शहर और गांव के बीच की डिजिटल खाई भी खत्म हो रही है।

आदि वाणी - भारत की जनजातीय भाषाओं को डिजिटल युग में लाना



भाषा केवल बातचीत का जरिया नहीं होती। यह किसी समुदाय के इतिहास, पहचान और ज्ञान को अपने भीतर समेटे होती है। पूरे भारत में, जनजातीय भाषाओं ने लोक कथाओं, गीतों और जंगलों, खेती तथा चिकित्सा से जुड़े बहुमूल्य ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुँचाया है। फिर भी, इनमें से कई भाषाएँ कम संसाधनों वाली भाषाएँ हैं, जो छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती हैं और मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं के जरिए आगे बढ़ती रही हैं। लिखित रिकॉर्ड सीमित होने और डिजिटल टेक्स्ट या स्पीच डेटा बहुत कम होने के कारण, आधुनिक भाषा तकनीकों में इन भाषाओं को अब तक कोई खास समर्थन नहीं मिल पाया है। आदि वाणी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इस कमी को दूर करना है। यह तकनीक के जरिए जनजातीय भाषाओं को दर्ज करने, उनका अनुवाद करने और उन्हें बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे इनके संरक्षण, सीखने और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नए अवसर पैदा होते हैं।

आदि वाणीः भाषा को तकनीक से जोड़ना - आदि वाणी एक एआई-आधारित अनुवाद और भाषा प्लेटफॉर्म है, जिसे जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर, उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म, आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व वाले एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया गया है। इसमें बिट्स पिलानी, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी नवा रायपुर के साथ-साथ झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) भी शामिल हैं। समय के साथ, कई अन्य राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) भी इस पहल से जुड़ गए, जिससे पूरे देश में इसके सहयोग का दायरा और बढ़ गया है।

डिजिटल अंतर को पाटनाः मिशन और विजन - आदि वाणी का उद्देश्य एआई-आधारित अनुवाद के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए डिजिटल अंतर को कम करना है। इसका विजन एक ऐसा डिजिटल रूप से समावेशी भारत बनाना है, जहाँ भाषा की बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। यह पहल सम्मान, सहयोग, प्रामाणिकता, नवाचार और डिजिटल समावेशन के माध्यम से सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है।

भाषाओं के दायरे और डिजिटल पहुँच का विस्तार - संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं से शुरुआत करते हुए, आदि वाणी का विस्तार हुआ है और 15 अक्टूबर 2026 तक यह नौ जनजातीय भाषाओं में टेक्स्ट अनुवाद की सुविधा दे रहा है। इसके अलावा, यह स्पीच ट्रांसलेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर), वीडियो सबटाइटलिंग और 300 से अधिक भाषा प्राइमर्स तक पहुँच प्रदान करता है। ये प्राइमर्स भाषा सीखने के बुनियादी संसाधन हैं, जिन्हें नए सीखने वालों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे जनजातीय भाषाओं को आसानी से समझ सकें और उनका अभ्यास कर सकें। इस प्लेटफॉर्म के 35,000 से अधिक एंड्रॉइड डाउनलोड हो चुके हैं और इसके लगभग 6,500 मासिक उपयोगकर्ता हैं, जो इसकी बढ़ती डिजिटल पहुँच को दर्शाते हैं।

नजातीय समुदायों के साथ मिलकर एआई का निर्माण-आदि वाणी की खासियत इसका समुदाय-आधारित दृष्टिकोण है। मूल भाषी लोग टीआरआई और आदि-कोश के माध्यम से शब्द, वाक्य और आवाज की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराते हैं। एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने से पहले, भाषा विशेषज्ञों द्वारा इनकी जांच की जाती है। इस परियोजना का लक्ष्य प्रति भाषा लगभग 1,00,000 वाक्य-युग्म और 100 घंटे की स्पीच रिकॉर्डिंग इकट्ठा करना है। 15 अक्टूबर 2026 तक, राज्य स्तरीय टीआरआई ने लगभग 13.9 लाख लिखित वाक्य (दस भाषाओं में) और करीब 300 घंटे का स्पीच डेटा उपलब्ध कराया है। यह दृष्टिकोण आधुनिक तकनीक को सामुदायिक ज्ञान के साथ जोड़ता है, जिससे जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, सीखने की प्रक्रिया और उनके दैनिक उपयोग में मदद मिलती है। हर भाषा डेटा संग्रह से लेकर प्लेटफॉर्म पर शामिल किए जाने तक, कुल पाँच चरणों से होकर गुजरती है। जैसे-जैसे समुदाय और अधिक डेटा देता है, एआई मॉडल को फिर से प्रशिक्षित किया जाता है।

इस प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:- टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट अनुवादः समर्थित जनजातीय भाषाओं और हिंदी व अंग्रेजी जैसी भाषाओं के बीच अनुवाद।

स्पीच-टू-टेक्स्टः बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलना, जो मौखिक भाषाओं के दस्तावेजीकरण में सहायक है।

स्पीच-टू-स्पीच अनुवादः वाक् पहचान

(speech recognition), अनुवाद और वाक् संश्लेषण (speech synthesis) की प्रक्रियाओं को एक - साथ जोड़कर बोली गई बातों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना।

ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर): अनुवाद के लिए छवियों और स्कैन किए गए दस्तावेजों से टेक्स्ट निकालना।

वीडियो सबटाइटलिंग: वीडियो सामग्री और सार्वजनिक जानकारी का जनजातीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा।

डिजिटल शब्दकोश और प्राइमस शब्दावली, अर्थ और बुनियादी सीखने के संसाधन उपलब्ध कराना।

जनजातीय भाषाएँ: ज्ञान और पहचान का संरक्षण - 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषाएँ और सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। इन भाषाओं को संरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि इनमें सदियों पुरानी लोककथाएँ, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक पहचान समाहित है। ये भाषाएँ मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा को भी बढ़ावा देती हैं और जंगलों, खेती, चिकित्सा तथा जैव विविधता से जुड़े ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने में मदद करती हैं। इन भाषाओं को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने से भाषा संबंधी बाधाओं को कम किया जा सकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाया जा सकता है।

आदि वाणी में शामिल जनजातीय भाषाएँ - आदि वाणी भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कुल 13 जनजातीय भाषाओं पर काम करती है। इनमें से कुछ भाषाएँ आदि वाणी परियोजना के लिए चिह्नित राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी बोली जाती हैं।

आदि वाणी का प्रभाव: भाषा अनुवाद से परे - आदि वाणी की उपयोगिता शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और जन-संचार जैसे क्षेत्रों तक फैली है, जहाँ भाषा इस बात पर असर डाल सकती है कि जानकारी को कैसे समझा और इस्तेमाल किया जाता है।

सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय परंपराओं को जीवित रखना-आदि वाणी जनजातीय भाषाओं, लोक गीतों, कहानियों और मौखिक परंपराओं को दर्ज करने के लिए तकनीक और सामुदायिक ज्ञान को एक साथ लाती है। मूल भाषी, बुजुर्ग और भाषा विशेषज्ञ भाषा संबंधी डेटा उपलब्ध कराते हैं। विशेषज्ञों द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेटा सटीक है और इसमें स्थानीय भाषा के प्रयोग की झलक मिलती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय विरासत (जिसमें भाषाएं, मौखिक परंपराएं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां शामिल हैं) को संरक्षित करने, दर्ज करने और बढ़ावा देने के लिए 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। समुदायों को सीधे तौर पर शामिल करके, आदि वाणी प्रामाणिक डिजिटल संसाधन तैयार करने में मदद करती है और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सुलभ बनाती है।

एक राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार का निर्माण - जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि वाणी का विस्तार करने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि यह केवल अनुवाद तक सीमित न रहकर जनजातीय भाषाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय संसाधन बन सके।

15 अक्टूबर 2026 को, मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं पर कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने की। इस समूह में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), आईआईटी, विश्वविद्यालयों, भाषा संगठनों के प्रतिनिधि और लुप्तप्राय भाषाओं पर काम करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं।

बैठक में आदि वाणी को एक राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार के रूप में स्थापित करने पर चर्चा हुई, जिसमें भाषा सामग्री (कॉर्पोरा), शुरुआती पाठ्य-सामग्री (प्राइमर्स), शब्दकोश और सामुदायिक कहानियों को एक साथ लाया जाएगा। मंत्रालय एजेंडे के बिंदुओं को साझा करेगा और आगे के काम के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा।

मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सुझाव दिया गया है कि जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक (और बेहतर होगा कि कक्षा 8 या उससे आगे तक भी), शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए।

आदि वाणी के जरिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 300 से ज़्यादा भाषा प्राइमर्स, 24 शब्दकोशों और सीखने के अन्य संसाधनों तक पहुँच मिलती है।

राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति ने 525 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में इन संसाधनों के इस्तेमाल की संभावना पर जोर दिया है, जहाँ 1.7 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इन्हें स्कूली पढ़ाई में शामिल करने से मातृभाषा पर आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है और छात्र अपनी भाषाई विरासत से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं।

इससे पहले, 24 अगस्त 2026 को मैसूः में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि वाणी का एक उन्नत संस्करण पेश किया गया। इसके साथ ही एक पैन एप्लिकेशन भी लॉन्च किया गया और इसमें पांच नई भाषाएं जोड़ी गईं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भाषाओं के दस्तावेजीकरण और कॉर्पस विकास के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में कर्नाटक सरकार और कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने जेनुकुरुबा में कक्षा 1 की पाठ्य-पुस्तकें (प्राइमर) जारी कीं।

इन पहलों का उद्देश्य मौजूदा भाषाई शोध और सामुदायिक संसाधनों को एक साझा राष्ट्रीय ढांचे के भीतर एक साथ लाना है।

एक अधिक समावेशी 'डिजिटल इंडिया' की ओर- आदि वाणी ने अनुवाद उपकरणों, शैक्षिक संसाधनों और समुदाय द्वारा तैयार किए गए भाषाई डेटा के माध्यम से जनजातीय भाषाओं के लिए एक शुरुआती डिजिटल आधार तैयार किया है। जैसे-जैसे प्रत्येक भाषा का कॉर्पस बढ़ता है, मॉडलों को फिर से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे अनुवाद की सटीकता में सुधार होता है।

भारत जैसे-जैसे विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, यह पहल भाषाई विविधता के संरक्षण को डिजिटल समावेशन के व्यापक लक्ष्य से जोड़ती है। आधुनिक तकनीकों के जरिए जनजातीय भाषाओं को सुलभ बनाने से, सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने के साथ-साथ शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी को भी बढ़ावा मिल सकता है।

कांग्रेस ने फिर अपनाई बांटो और राज करो की नीति



वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी जहां एक ओर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव आयोग व देश की अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर है वहीं दूसरी ओर उसके तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं का विभाजन करके कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाकर राजनैतिक माहौल को गर्म कर दिया है। दक्षिण का राज्य तेलंगाना कांग्रेस के शासन में आर्थिक तंगी व भ्रष्टाचार से गुजर रहा है। अपनी प्रशासनिक नाकामियों तथा चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम रहने व मुस्लिम तुष्टिकरण को छुपाने के लिए रेवंत रेड्डी ने प्रभु श्रीराम को उत्तर और भगवान शिव को दक्षिण का देवता बताकर एक नयी विभाजक रेखा खींचने का असफल प्रयास किया है। उत्तर भारत में अपने अस्तित्व का संघर्ष करती कांग्रेस अब विभाजनकारी मानसिकता के सबसे निचले पायदान पर पहुँच गयी लगती है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इससे पूर्व भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि मुस्लिम ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही मुस्लिम है। रेवंत रेड्डी का कहना है कि भगवान राम अमीरों के देवता हैं और भगवान शिव गरीबों के देवता हैं। वे स्वयं को भगवान शिव का भक्त बताते हुए कहते हैं कि भाजपा ने भगवान राम को चोरी कर लिया है। रेवंत रेड्डी का कहना है भाजपा के लोग "हर हर महादेव" तक नहीं बोलते। वह एक बार हिंदुओं के 33 करोड़ देवताओं पर भी विंत बयानबाजी कर चुके हैं। दिमागी नक्सली नेताओं का यही लक्ष्य रहता है किसी न किसी प्रकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए। विगत सितम्बर में हुए गणेशोत्सव आयोजन के दौरान तेलंगाना में कई जगह से गणेशोत्सवों के आयोजन पर बाधाओं के समाचार आ रहे थे।

कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कारिडोर का विरोध किया। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताने में सबसे पहले कांग्रेस ही मैदान में उतर पड़ी थी। रेवंत रेड्डी संभवतः यह बात भूल गए कि भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाज की रक्षा के लिए विष को भी अपने गले में ही धारण कर लिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भगवान श्रीराम का चरित्र पढ़ना चहिए। मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि भगवान श्रीराम मर्यादा पुरषोत्तम थे। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रणनीति के तहत ही विगत 76 वर्षों में हिंदू समाज को जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने की पूरी कोशिश की है और वह लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने बयान के माध्यम से आर्य बनाम द्रविड का विभाजन करते हुए



यह भी कहाकि हम द्रविड़ हैं और हम भगवान शिव की आराधना करते हैं जबकि आर्य प्रभु श्रीराम को मानते हैं। रेवंत रेड्डी का कहना है कि बीजेपी के मंचों से जयश्रीराम का नारा सुनाई देता है जबकि "हर हर महादेव" का उद्घोष नहीं किया जाता । रेड्डी ने कहा कि "मोदीजी हर हर महादेव क्यों नहीं कहते?" रेवंत रेड्डी का बयान झूठ का पुलिंदा भर है। रेवंत रेड्डी को यह नहीं पता कि उत्तर भारत में केदारनाथ, विश्वनाथ और महाकाल जैसे ज्योतिर्लिंग हैं, उत्तर भारत में ही काँवड़ यात्रा होती है और श्रावण माह महादेव को ही समर्पित रहता है।

कांग्रेस को तो भगवान शिव के मंदिरों के विकास से भी चिढ़ रही है। गुजरात के पवित्र सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रोकने और तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गी राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर न जाने देने का भरसक प्रयास स्वयं नेहरु जी ने किया था। सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कर्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिभाग पर भी कांग्रेस ने नफरत भरा बयान दिया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बने भव्य महाकाल कॉरिडोर का विरोध भी कांग्रेस नेताओं ने ही किया था।

आज दक्षिण भारत के जो कांग्रेसी नेता अपने आपको शिवभक्त बता रहे हैं वह ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के उद्धार के लिए आगे क्यों नही आ रहे हैं? कांग्रेस के शासनकाल में भगवान शिव के मंदिरों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक बार काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए तब उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आर्य प्रभु श्रीराम के भी भक्त हैं और भगवान शिव के भी भक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में भी भगवान की पूजा करते हैं और काशी विश्वनाथ धाम में भी। वह अपनी हर जनसभा में हर-हर महादेव के नारे लगाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी ने निहित राजनीतिक स्वार्थ व गांधी परिवार की चाटुकारिता के लिए एक निंदनीय बयान दिया है।

यह बयान भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। भाषा के आधार पर भी कांग्रेस उत्तर और दक्षिण को लड़ाती रही है। इस बयानबाजी का एक पक्ष मुस्लिम समाज को खुश रखने के लिए हिन्दुओं की आस्था पर प्रहार करना भी है। यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस के नेता कभी अन्य धर्मों के प्रति इस प्रकार के बयान क्यों नहीं देते? यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है गांधी परिवार व विपक्ष को अयोध्या का भव्य राम मंदिर व काशी विश्वनाथ धाम सहित अन्य मंदिरों का विकास अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए अब उसने यह नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी व बीजेपी के लोग "हर- हर महादेव" नहीं बोलते।

वास्तविकता ये है देश की जनता कांग्रेस की इस फूट डालो-राज करो की नीति अच्छी तरह से समझ चुकी है यही कारण है कि कांग्रेस लगातार सिमट रही है लेकिन वह अपने में सुधार के बजाए चुनाव आयोग व संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर होकर सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है।

सरदार पटेलः नये भारत के शिल्पकार और स्वप्नद्रष्टा युगपुरुष



किसी राष्ट्र का निर्माण केवल स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने से नहीं होता, बल्कि स्वतंत्रता को एकता, अखंडता, सुरक्षा और सामूहिक संकल्प की शक्ति में बदलने से होता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह सबसे बड़ी चुनौती थी। देश के सामने रियासतों का बिखराव था, विभाजन की पीड़ा थी, सांप्रदायिक तनाव था, सीमाओं पर असुरक्षा थी और नवजात लोकतंत्र के सामने अनेक राजनीतिक एवं प्रशासनिक संकट थे। ऐसे कठिन समय में यदि किसी एक व्यक्तित्व ने भारत को भौगोलिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक दायित्व निभाया, तो वे थे सरदार वल्लभभाई पटेल। उनकी 151वीं जयंती पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस केवल एक महापुरुष का स्मरण नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय स्वाभिमान और दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। सरदार पटेल का व्यक्तित्व उस चट्टान की तरह था, जिस पर कठिन से कठिन परिस्थितियों की लहरें टकराकर लौट जाती थीं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी दृढ़ता, संगठन क्षमता और जन नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में विशिष्ट स्थान दिलाया था। खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली आंदोलन ने उन्हें किसानों के संघर्ष का नायक बनाया। बारडोली की महिलाओं द्वारा दिया गया 'सरदार' संबोधन आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की राष्ट्रीय पहचान बन गया। लेकिन उनकी वास्तविक ऐतिहासिक भूमिका स्वतंत्रता के बाद सामने आई, जब भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना सबसे बड़ी आवश्यकता थी।

उस समय देश में 562 से अधिक रियासतें थीं। अनेक रियासतों के शासक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने अथवा भारत से अलग रहने की आकांक्षा रखते थे। ऐसी स्थिति में भारत का राजनीतिक मानचित्र खंडित हो सकता था। सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक दृढ़ता, असाधारण कूटनीति और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता से इस चुनौती का समाधान किया। उन्होंने जहां आवश्यकता हुई वहां संवाद का सहारा लिया, जहां जरूरी हुआ वहां दृढ़ता दिखाई और जहां राष्ट्रीय हित सर्वोपरि था वहां किसी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हैदराबाद का भारत में विलय इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। यह केवल रियासतों का विलय नहीं था, बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र की आधारशिला रखने वाला ऐतिहासिक अभियान था। पटेल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, राष्ट्र निर्माण का दायित्व मानते थे। उनके लिए राष्ट्रीय हित किसी दल, विचारधारा, क्षेत्र अथवा समुदाय से

ऊपर था। वे जानते थे कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल भावनात्मक नारों से नहीं हो सकती। इसके लिए मजबूत प्रशासन, अनुशासित शासन, स्पष्ट विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा की ठोस व्यवस्था आवश्यक है। पाकिस्तान की नीतियों, कश्मीर के प्रश्न और सीमावतर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों को लेकर उनकी चिंताएं इसी राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि का प्रमाण थीं। चीन की तिब्बत संबंधी नीति को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 7 नवंबर 1950 को लिखे पत्र में जिस प्रकार आगाह किया था, वह उनकी सामरिक दूरदृष्टि का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सद्भावना के साथ-साथ सतर्कता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को भी अनिवार्य माना।

सरदार पटेल की दूरदर्शिता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण था। स्वतंत्रता के बाद अनेक लोग अंग्रेजों की बनाई प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने के पक्ष में थे, लेकिन पटेल ने इनके महत्व को समझा। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत आधार प्रदान किया। उनका मानना था कि देश की एकता और प्रशासनिक स्थिरता के लिए ऐसी संस्थाएं जरूरी हैं, जो राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती रहें। उन्होंने अधिकारियों में यह विश्वास पैदा किया कि अब उनकी निष्ठा किसी विदेशी शासन के प्रति नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत और उसके नागरिकों के प्रति होनी चाहिए। इसीलिए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का संरक्षक भी कहा जाता है। उनकी राजनीतिक दृष्टि में दृढ़ता थी, लेकिन वह हठधर्मिता नहीं थी। वे जानते थे कि राष्ट्र केवल कानून और प्रशासन से नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास और नागरिक उत्तरदायित्व से भी मजबूत होता है। वे राष्ट्रीय एकता को विविधताओं के निषेध के रूप में नहीं, बल्कि विविधताओं के बीच साझा राष्ट्रीय चेतना के विकास के रूप में देखते थे। भारत की भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और आस्थाएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति सम्मान सबको एक सूत्र में बांधते हैं। आज जब समाज में वैचारिक मतभेद, क्षेत्रीय आग्रह, जातीय विभाजन और राजनीतिक कटुता की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, तब पटेल का यह संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

आज जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्वशक्ति के रूप में स्थापित होने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब सरदार वल्लभभाई पटेल के विचार, दृष्टि और राष्ट्रनिर्माण की भावना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठती है। उन्होंने जिस अखंड भारत की कल्पना की थी, उसकी मजबूती का आधार केवल भौगोलिक एकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक समरसता, प्रशासनिक दृढ़ता और सामूहिक उत्तरदायित्व था। आज भारत के सामने आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता, आंतरिक सुरक्षा, सुशासन और वैश्विक नेतृत्व की जो चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ हैं, उनके समाधान में पटेल की राष्ट्रनिष्ठा, दृढ़ इच्छाशक्ति और व्यावहारिक नेतृत्व दृष्टि मार्गदर्शक बन सकती है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश की विविधता उसकी शक्ति बने, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे और प्रत्येक नागरिक राष्ट्रनिर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। इस दृष्टि से सरदार पटेल केवल इतिहास के महानायक नहीं, बल्कि 2047 के भारत की दिशा और दशा निर्धारित करने वाले प्रेरणास्रोत हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल का व्यक्तित्व अदम्य साहस, लौह इच्छाशक्ति, अनुशासन, स्पष्टवादिता, संगठन क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और अटूट राष्ट्रभक्ति का विलक्षण समन्वय था। वे दृढ़ संकल्प के धनी होने के साथ-साथ अत्यंत व्यावहारिक, दूरदर्शी और निर्णय लेने में असाधारण क्षमता रखने वाले राजनेता थे। वे केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी या देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री ही नहीं थे, बल्कि ऐसे राष्ट्रशिल्पी थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता को स्थायी आधार प्रदान किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महान राष्ट्रों का निर्माण केवल संकल्पों से नहीं, बल्कि चरित्रबल, अनुशासन, कर्मनिष्ठा, त्याग और सामूहिक प्रतिबद्धता से होता है। यही वे शाश्वत गुण हैं, जिनकी आज के भारत और आने वाली पीढ़ियों को सर्वाधिक आवश्यकता है। आज भारत आर्थिक महाशक्ति बनने, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन विकास की इस यात्रा की सबसे बड़ी शर्त आंतरिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा है। आर्थिक समृद्धि तभी स्थायी हो सकती है, जब देश सामाजिक रूप से संगठित, राजनीतिक रूप से स्थिर और सामरिक रूप से सुदृढ़ हो। सरदार पटेल का जीवन हमें यही सिखाता है कि राष्ट्र की शक्ति उसके संसाधनों से अधिक उसके संकल्प, नेतृत्व और एकजुट नागरिक चेतना में निहित होती है।

सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया, लेकिन उनका राष्ट्रवादी चिंतन आज भी भारत की राष्ट्रीय चेतना का आधार है। वर्ष 2018 में गुजरात में स्थापित उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' उनके विराट व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का प्रतीक है। किंतु उनकी वास्तविक स्मृति किसी प्रतिमा की ऊंचाई में नहीं, बल्कि भारत की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के हमारे सामूहिक प्रयासों में जीवित रहेगी। सरदार पटेल केवल रियासतों को जोड़ने वाले शिल्पकार नहीं थे, वे बिखरी हुई राष्ट्रीय चेतना को एक संकल्प में बदलने वाले युगपुरुष थे। उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि भारत की एकता को केवल इतिहास की उपलब्धि नहीं, वर्तमान का उत्तरदायित्व और भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनाएंगे। यही लौहपुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही राष्ट्रीय एकता दिवस का वास्तविक उद्देश्य भी।

संगठन व कर्मचारियों के बीच निष्पक्षता व विश्वास की अहम कड़ी एचआर

महज कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहा मानव संसाधन विभाग का काम

कमर्चारी के स्वागत, आगे बढ़ाने, उत्पादक बनाने व विदाई तक के कठिन दौर से पड़ता है गुजरना

जब किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर कुछ अनुचित महसूस होता है, तो वह अक्सर अपनी बात लेकर सबसे पहले मानव संसाधन (एचआर) विभाग के पास पहुँचता है। वहीं, कई बार किसी कर्मचारी की विदाई के समय एचआर ही उसका आखिरी संपर्क भी होता है। शायद यही वजह है कि एचआर की भूमिका को लेकर एक अलग तरह की धारणा बन गई है। आज भी बहुत से लोग इसे नियमों, कागजी कार्यवाही और कठिन बातचीत तक सीमित विभाग मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। एक सशक्त एचआर टीम केवल कर्मचारियों की विदाई की प्रक्रिया नहीं संभालती और न ही केवल नीतियों को लागू करती है। वह ऐसे कार्यस्थल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ निष्पक्षता, जवाबदेही, मानवीय संवेदनशीलता और आपसी विश्वास को महत्व दिया जाता है।

इस कार्य का अधिकतर हिस्सा पर्दे के पीछे होता है। इसमें ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित करना शामिल है, जो अच्छे कार्य को पहचान और प्रोत्साहन दें, ऐसी प्रक्रियाएँ बनाना, जो कर्मचारियों को मनमाने निर्णयों से सुरक्षित रखें, और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समस्या की स्थिति में उनकी बात सुनी जाए। इसका संबंध इस बात से भी है कि किसी नए कर्मचारी का स्वागत कैसे किया जाता है, उसे आगे बढ़ने के अवसर कैसे मिलते हैं और संगठन के घोषित मूल्य रोजमर्रा के निर्णयों में किस तरह दिखाई देते हैं। इन प्रयासों के



निशा सिंह

अभाव में कोई संगठन कागजों पर भले ही सुव्यवस्थित और कुशल दिखाई दे, लेकिन धीरे-धीरे उन लोगों से दूर हो सकता है, जिनके प्रयासों से वह आगे बढ़ता है।

हालाँकि, एचआर को अपनी भूमिका और कार्यशैली की समीक्षा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई नीति केवल इसलिए निष्पक्ष नहीं हो जाती कि वह कागजों पर सभी के लिए समान है। इसी तरह, कोई प्रक्रिया केवल इसलिए प्रभावी नहीं मानी जा सकती कि उसे निर्धारित तरीके से पूरा कर लिया गया है। यदि कर्मचारी अपनी बात रखने में संकोच महसूस करते हैं या संगठन की सुविधा को लगातार निष्पक्ष व्यवहार से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, तो एचआर को अपनी कार्यशैली पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। केवल पद या अधिकार के आधार पर विश्वास अर्जित नहीं किया जा सकता। विश्वास निरंतर निष्पक्ष निर्णयों, सहज संवाद और जवाबदेही से बनता है।

यह बात विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाती है, जब दो वैध हित आमने-सामने दिखाई देते हैं एक ओर कर्मचारी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और दूसरी ओर अनुशासन एवं कार्यनिष्पादन बनाए रखने की संगठन की जिम्मेदारी। एचआर की वास्तविक गुणवत्ता इसी में है कि वह किसी भी पक्ष के साथ अन्याय किए बिना संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाए।

जो संगठन इस वास्तविकता को समझते हैं, वे मानव संसाधन रणनीति को केवल एक प्रशासनिक लागत नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्राथमिकता के रूप में देखते हैं। वर्ष 2026 की एचआरओ टुडे एचआर 100 रैंकिंग में एडब, अमेरिकन एक्सप्रेस और NVIDIA जैसे संगठनों को अग्रणी स्थानों पर शामिल किया गया है। यह व्यापक बदलाव दर्शाता है कि नेतृत्व विकास, कर्मचारी अनुभव और संगठनात्मक संस्कृति को अब व्यावसायिक प्रदर्शन के अभिन्न अंग के रूप में देखा जा रहा है, न कि ऐसी गतिविधियों के रूप में जिनका मुख्य व्यवसाय से कोई सीधा संबंध नहीं है।

यह बदलाव भारत के लिए भी विशेष रूप से प्रासंगिक है। देश के संगठन तेजी से विस्तार कर रहे हैं और उन्हें कर्मचारियों की बदलती अपेक्षाओं, नए कौशल की जरूरतों तथा कार्यस्थल पर बढ़ती जवाबदेही जैसी चुनौतियों

का सामना करना पड़ रहा है। आज चुनौती केवल योग्य प्रतिभाओं को आकर्षित करने की नहीं, बल्कि ऐसे कार्यस्थल विकसित करने की है जहाँ लोग सार्थक योगदान दे सकें, बदलावों के अनुरूप स्वयं को विकसित कर सकें और अपने भविष्य की संभावनाएँ देख सकें। इसके लिए केवल प्रतिस्पर्धी वेतन या आकर्षक कार्यस्थल नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए निरंतर नेतृत्व प्रतिबद्धता और ऐसी मानव संसाधन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जिन पर कर्मचारी भरोसा कर सकें।

संगठनात्मक बदलावों का बढ़ता दायरा इस जिम्मेदारी को और महत्वपूर्ण बना देता है। Deloitte के 2026 Global Human Capital Trends शोध के अनुसार, एक-तिहाई कर्मचारियों ने एक वर्ष के दौरान संगठन में 15 या उससे अधिक बड़े बदलावों का अनुभव किया, जबकि 68 प्रतिशत ने इन बदलावों के परिणामस्वरूप अपने कल्याण में गिरावट महसूस की। जब बदलाव किसी विशेष अवसर तक सीमित न रहकर लगातार होने वाली प्रक्रिया बन जाते हैं, तब संगठनों को ऐसी मानव संसाधन व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, जो कर्मचारियों को स्पष्टता, सहयोग और सही दिशा प्रदान कर सकें। कर्मचारी नई संरचनाओं, तकनीकों और जिम्मेदारियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यह समझना भी आवश्यक है कि संगठन में उनकी भूमिका क्या है और उनसे क्या अपेक्षाएँ रखी जा रही हैं।

हालाँकि, इस चर्चा का एक दूसरा पहलू भी है। कार्यस्थल की चुनौतियों का समाधान करने वाले एचआर पेशेवर स्वयं भी कई चुनौतियों से जूझते हैं। State of the People Strategy की 2027 की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 55 प्रतिशत एचआर पेशेवरों ने पिछले एक वर्ष के दौरान अपना पेशा छोड़ने के बारे में विचार किया। यह आंकड़ा एक गंभीर विरोधाभास की ओर संकेत करता है। जिन लोगों से दूसरों को सहयोग और मार्गदर्शन देने की अपेक्षा की जाती है, वे स्वयं कई बार कम पहचान, बढ़ते कार्यभार और परस्पर विरोधी अपेक्षाओं के बीच काम कर रहे होते हैं। एचआर से अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि वह कठिन संगठनात्मक निर्णयों को लागू करते हुए कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखे। यह जिम्मेदारी आसान नहीं है, विशेषकर तब, जब निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी दिए बिना उससे परिणामों की जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है।

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नियमित प्रशासनिक कार्यों को अपने दायरे में ले रही है, मानवीय विवेक और निर्णय क्षमता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। भर्ती प्रणालियाँ आवेदनों की प्रारंभिक जांच कर सकती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म उपस्थिति और कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रक्रियाओं को स्वचालित बना सकते हैं और तकनीक कार्यबल से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण आसान कर सकती है। लेकिन किसी प्रक्रिया की निष्पक्षता तय करना, संवेदनशील शिकायतों का समाधान करना, बदलाव के दौर में कर्मचारियों का साथ देना या प्रबंधकों को जिम्मेदार निर्णय लेने में मार्गदर्शन देना ऐसे कार्य हैं, जिनमें मानवीय समझ, संवेदनशीलता और विवेक की आवश्यकता होती है। तकनीक एचआर की कार्यक्षमता बढ़ा सकती है, लेकिन संगठनात्मक निर्णयों के मानवीय परिणामों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती।

इसलिए, कामकाज का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि संगठन नई तकनीकों को कितनी तेजी से अपनाते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करेगा कि वे इन बदलावों से प्रभावित लोगों के साथ कितना संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार करते हैं। डिजिटल क्षमता के साथ-साथ कर्मचारियों का कौशल विकास, जिम्मेदार कार्यबल परिवर्तन, आपसी विश्वास और नेतृत्व की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

एचआर न तो कोई खलनायक है और न ही उसे एक ऐसे प्राधिकारी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिस पर सवाल न उठाए जा सकें। यह संगठन के हितों और कर्मचारी की गरिमा, दोनों के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह जिम्मेदारी न तो आसान है और न ही हमेशा सहज, शायद यही इसकी वास्तविक अहमियत भी है।

जिन लोगों पर कार्यस्थल को अधिक मानवीय बनाने की जिम्मेदारी है, उन्हें यह काम अकेले नहीं करना चाहिए। यदि संगठन चाहते हैं कि एचआर कर्मचारियों के बीच विश्वास, निष्पक्षता और बदलावों के प्रति अनुकूलन की क्षमता विकसित करे, तो उन्हें स्वयं भी एचआर को वही विश्वास, अधिकार और संस्थागत सहयोग देना होगा। आखिरकार, किसी संगठन की वास्तविक सफलता केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि उन उपलब्धियों को संभव बनाने वाले लोगों के साथ वह कैसा व्यवहार करता है।

(लेखिका मानव संसाधन एवं कॉर्पोरेट संचार के क्षेत्र में वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता हैं, उन्हें मानव संसाधन रणनीति, संगठनात्मक परिवर्तन, कार्यस्थल प्रशासन एवं ब्रांड नेतृत्व के क्षेत्रों में 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है)

खेत बचाओ अभियान – रबी 2026



खेत बचाओ अभियान (केबीए) - रबी 2026 एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लगभग 50 लाख किसानों लक्षित करते हुए 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, 700 से अधिक जिलों तथा 50,000 गाँवों में मृदा स्वास्थ्य, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, फसल अवशेष प्रबंधन, फसल विविधीकरण और जलवायु-अनुकूल कृषि शामिल हैं। इसके अंतर्गत केवीके और एटीएमए को शामिल करते हुए 4,150 टीमों के गठन की परिकल्पना की गई है, जिन्हें 12,000 से अधिक वैज्ञानिकों और एटीएमए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा। इस पहल के तहत खेतों में 50,000 व्यावहारिक प्रदर्शन और 11,750 व्यवस्थित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का लक्ष्य है। अभियान के माध्यम से सोशल मीडिया आउटरीच के जरिए 1.5 करोड़ किसानों तक पहुँच कायम करने का अनुमान है, जबकि समग्र डिजिटल आउटरीच को बढ़ाकर 2.5 करोड़ किसानों तक विस्तारित करने की परिकल्पना की गई है।

खेती की बुनियाद मृदा में निहित है : मृदा स्वास्थ्य कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका का मूल आधार है। भारत के 46 प्रतिशत से अधिक कार्यबल के कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न होने के कारण, मृदा स्वास्थ्य खाद्य प्रणालियों और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। स्वस्थ मिट्टी फसल की अधिक पैदावार सुनिश्चित करने में सहायक होती है और बाहरी ृषि आदानों पर निर्भरता को कम करती है।

मृदा स्वास्थ्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए, खेत बचाओ अभियान (केबीए)- रबी 2026, ''स्वस्थ धरा, समृद्ध किसान'' की परिकल्पना 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलने वाले एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में की गई है। यह अभियान समन्वय आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके तहत संतुलित एवं विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों, अनुसंधान संस्थानों और जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मियों को एक साथ लाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और कृषि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही, यह प्रोंतिक खेती, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को भी बढ़ावा देता है। यह अभियान पोषक तत्वों के असंतुलित प्रयोग, मिट्टी में जैविक पदार्थों की घटती मात्रा, खेती की बढ़ती लागत और प्रोंतिक संसाधनों के क्षरण जैसे सरोकारों पर गौर करता है।

इन पहलों में पुनर्योजी कृषि पद्धतियाँ (अर्थात् ऐसी कृषि विधियाँ जो मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने और जैव विविधता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं), क्षमता निर्माण, कृषि यंत्रीकरण और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों पर भी बल दिया गया है।

इस अभियान में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, 700 से अधिक जिलों तथा 50,000 गाँवों को कवर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समन्वित गतिविधियों के माध्यम से लगभग 50 लाख किसानों तक पहुँच कायम करना है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक पहुँच को सुदृढ़ बनाने तथा संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरकों की अधिक खपत वाले 100 जिलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

अपनी व्यापक पहुँच और खेत स्तर पर संचालित गतिविधियों के माध्यम से यह अभियान किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि संस्थानों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। इस समन्वित प्रयास से कृषि संबंधी निर्णय तथ्यपरक रूप से लेने तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अधिकाधिक अपनाने को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

खेत बचाओ अभियान : खेत बचाओ अभियान की शुरुआत देशव्यापी स्तर पर 1 जून 2026 को एक महीने तक चलने वाले अभियान के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और टिकाऊ ंषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था। इस अभियान के तहत किसानों के साथ सीधे जमीनी स्तर पर जुड़ाव स्थापित करने के लिए 1,657 बहुविषयक टीमों को तैनात किया गया। इस पहल के अंतर्गत 92.44 लाख किसानों के लिए 1.34 लाख से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही, हरित खाद और जैव उर्वरकों पर 6,685 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनसे 4.94 लाख किसानों को लाभ मिला। इसके अतिरिक्त, खेतों में 3,167 व्यावहारिक प्रदर्शन और 4,779 संवादात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को व्यावहारिक जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा उर्वरक एवं ंषि आदान विक्रेताओं की भागीदारी सहित 4,916 जनप्रतिनिधि सम्मेलनों ने जमीनी स्तर पर सहभागिता को और सुदृढ़ किया। कुल मिलाकर, इस अभियान के माध्यम से लगभग 1.07 करोड़ किसानों और अन्य हितधारकों तक सीधे पहुँच बनाई गई, जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 4.5 करोड़ नागरिकों तक पहुँच कायम की गई।

खेत बचाओ अभियान- रबी 2026 के मुख्य उद्देश्य : इस अभियान का उद्देश्य किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि कृषि आदानों के उपयोग की दक्षता में सुधार हो और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिले।

संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन : सामान्य उर्वरक सिफारिशों (जीएफआर) पर आधारित पोषक तत्व प्रबंधन तथा उर्वरकों के उपयोग के 4R सिद्धांतें सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय और सही स्थान को बढ़ावा देना। यह पद्धति रबी फसलों की आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित एवं कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है।

प्रोंतिक खेतीः जागरूकता अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रदर्शनों और किसानों के बीच आपसी अनुभवों के आदान - प्रदान के माध्यम से प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम): जागरूकता, क्षमता निर्माण और प्रदर्शनों के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा उपयुक्त ऑर्गेनिक एवं जैविक आधारित आदानों के उपयोग को बढ़ावा देना।

फसल अवशेष प्रबंधनः सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से टिकाऊ फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फसल अवशेषों को जलाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना।

फसल विविधीकरणः जागरूकता, क्षमता निर्माण और प्रदर्शनों के माध्यम से तिलहन एवं दलहन उत्पादन मजबूत करना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तथा धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों का उत्पादक उपयोग बढ़ाना।

जलवायु अनुकूल कृषिः महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल फसल एवं संसाधन प्रबंधन को समर्थन देने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आकस्मिक योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

कृषि योजनाओं के बारे में जागरूकताः कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना।

एकीकृत कीट प्रबंधन एवं कीटनाशकों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग : कीटनाशकों की गुणवत्ता और उनके सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को प्रोत्साहित करना तथा सुरक्षित, आवश्यकता पर आधारित और लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुरूप कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना। साथ ही, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को हतोत्साहित करना।

अभियान को किसानों तक पहुंचानाः संस्थागत भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ : राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के कृषि विभाग : अभियान की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने, आवश्यक निर्देश जारी करने, तैयारी संबंधी बैठकें आयोजित करने, जिला स्तरीय कार्यक्रमों को अनुमोदित करने, फील्ड में काम करने वाले कर्मियों एवं समन्वय करने वाले साझेदारों को संगठित करने, योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुँच सुगम बनाने तथा रिपोर्टों का संकलन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियाँ (एटीएमए) एवं जिला कृषि प्रशासन : जिला, प्रखंड और ग्राम स्तर पर अभियान की गतिविधियों का समन्वय करने, सूक्ष्म योजनाएँ तैयार करने, किसानों एवं सामुदायिक संस्थानों को संगठित करने, कार्यक्रम स्थलों, खेतों तक पहुँच, सूचना, आईईसी सामग्री तथा अन्य व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने और उपस्थिति एवं गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आईसीएआर संस्थानों, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (एटीएआरआई), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) एवं कृषि विश्वविद्यालय (ज्ञान साझेदार): ये संस्थान विज्ञान आधारित तकनीकी मार्गदर्शन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सिफारिशें प्रदान करेंगे, रिसोर्स पर्सन को नामित करेंगे, प्रशिक्षण में सहयोग देंगे, अनुरोध किए जाने पर प्रदर्शन तथा किसान - वैज्ञानिक संवाद आयोजित करेंगे, तकनीकी आईईसी सामग्री और परामर्श संबंधी दिशा-निर्देश तैयार या प्रमाणित करेंगे, अनुसंधान संबंधी साक्ष्य साझा करेंगे और सीख का दस्तावेजीकरण करेंगे। इनकी भूमिका राज्य स्तरीय कार्यान्वयन, प्रशासनिक नियंत्रण, प्रवर्तन या व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों तक विस्तारित नहीं होगी, जब तक कि इसके लिए अलग से प्रावंित न किया गया हो।

इस अभियान के अंतर्गत केवीके और एटीएमए को शामिल करते हुए 4,150 टीमों की परिकल्पना की गई है। इसके कार्यान्वयन में 12,000 से अधिक वैज्ञानिकों और एटीएमए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की अपेक्षा है। एटीएमए और आइसीएआर के माध्यम से इस अभियान का लक्ष्य लगभग एक करोड़ प्रतिभागियों तक पहुँच कायम करना है।

अन्य राज्य विभाग एवं एजेंसियाँ : बागवानी, मृदा एवं जल संरक्षण, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण विकास, सहकारिता, पंचायती राज, पर्यावरण, कृषि विपणन और संबद्ध क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी विभागों एवं एजेंसियों के समन्वित सहयोग के माध्यम से, अपने अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार अभियान की गतिविधियों को समर्थन एवं सुविधाएँ प्रदान करना।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस), कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) एवं प्रगतिशील किसान : किसानों को स्थानीय स्तर पर संगठित करने, आपसी अनुभवों के आदान प्रदान, प्रदर्शन स्थलों के भ्रमण तथा प्रमाणित कृषि परामर्शों का किसानों के बीच प्रसार करने में सहयोग देना।

मीडिया एवं संचार साझेदारः स्थानीय मीडिया, सामुदायिक रेडियो, व्हाट्सऐप, किसान सारथी तथा अन्य उपयुक्त संचार माध्यमों के जरिए अभियान के अनुमोदित संदेशों का प्रसार करना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि किसानों के साथ साझा की जाने वाली ंषि संबंधी जानकारी सटीक एवं सत्यापित हो।

किसानों में जागरूकता बढ़ाना एवं उन तक पहुँच सुनिश्चित करना : यह अभियान किसानों में जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण, खेतों में प्रदर्शन, व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने हेतु भ्रमण तथा बेहतर खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल आउटरीच, तकनीकी ज्ञान को सुदृढ़ करने तथा किसानों के बीच अभियान के संदेशों का व्यापक प्रसार करने जैसी गतिविधियों को एकीत करता है।

विभिन्न गतिविधियों के बारे में जागरूकता का प्रसार : इस अभियान का उद्देश्य किसानों में सामान्य उर्वरक सिफारिशों-जीएफआर पर आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) तथा तिलहन एवं दलहन उत्पादन की उन्नत तकनीकों के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, यह सूखा प्रभावित जिलों में आकस्मिक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) तथा कृषि से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी का भी प्रसार करता है।

आईसीएआर संस्थानों की 950 टीमों में से प्रत्येक को प्रति सप्ताह तीन गाँवों के दौरे करने का दायित्व सौंपा गया है, जबकि केवीके की 700 टीमों से प्रति सप्ताह चार दौरे किए जाने की अपेक्षा है। प्रत्येक दौरे में 100 किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।



पाँच सप्ताह की अवधि में इस अभियान के तहत 5,650 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की परिकल्पना की गई है, जिनके माध्यम से अनुमानित रूप से 28.25 लाख किसानों तक पहुँच कायम करने का लक्ष्य है।

किसानों का क्षमता निर्माणः प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम), प्राकृतिक खेती, तिलहन एवं दलहन उत्पादन की उन्नत पद्धतियों, एकीत कीट प्रबंधन (आईपीएम) तथा अन्य प्रासंगिक विषयगत क्षेत्रों में किसानों के ज्ञान और तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

आईसीएआर संस्थानों की 950 टीमों में से प्रत्येक से प्रति सप्ताह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा है, जबकि केवीके की 700 टीमों को प्रति सप्ताह दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रत्येक कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों के खेतों में प्रदर्शनः आईसीएआर के संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) उन्नत कृषि तकनीकों की क्षमता और उनके लाभों को प्रदर्शित करने के लिए चयनित किसानों के खेतों में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन प्रदर्शनों के माध्यम से किसान वैज्ञानिक उपायों का आकलन कर सकते हैं और उनके परिणामों की तुलना अपनी मौजूदा कृषि पद्धतियों से कर सकते हैं। इनमें ग्रीन अमोनिया, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), प्राकृतिक खेती, तिलहन एवं दलहनों के लिए एकीकृत फसल प्रबंधन (आईसीएम), जैव उर्वरक तथा ऑर्गेनिक तथा जैविक आधारित आदानों जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

इस अभियान के तहत खेतों में 50,000 व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें से 40,000 केवीके और 10,000 प्रदर्शन आईसीएआर के संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

प्रत्येक प्रदर्शन में 20 किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार, इस पहल के माध्यम से अनुमानित रूप से 10 लाख किसानों तक पहुँच कायम करने का लक्ष्य है।

खेत दिवस, फसल कटाई दिवस एवं अनुभवात्मक भ्रमणः खेत दिवस, फसल कटाई कार्यक्रम और प्रदर्शन स्थलों के अनुभवात्मक भ्रमण अभियान ''आँखों देखी पर भरोसा करने'' के दृष्टिकोण का अभिन्न हिस्सा हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखने, उनके व्यावहारिक उपयोग को समझने तथा खेतों की वास्तविक परिस्थितियों में उनके लाभों का आकलन करने का अवसर मिलता है।

1,650 टीमों में से प्रत्येक को फसल के मौसम के दौरान तीन खेत दिवस या फसल कटाई दिवस तथा दो अनुभवात्मक भ्रमण आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रत्येक गतिविधि में लगभग 125 किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इन गतिविधियों के माध्यम से सामूहिक रूप से लगभग 10 लाख किसानों तक पहुँच कायम किए जाने की अपेक्षा है।



सोशल मीडिया आउटरीच रू डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहतर कृषि पद्धतियों, तकनीकी परामर्शों और अभियान से संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्रसारित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार, ये अभियान की पहुँच को खेतों में किए जाने वाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों से आगे बढ़ाकर व्यापक स्तर तक विस्तारित करते हैं।

व्हाट्सऐप, फेसबुक, एक्स (X) और अन्य उपयुक्त डिजिटल मंचों के माध्यम से दैनिक अपडेट का प्रसार करने के लिए टीमों का गठन करना।

इस अभियान के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से 1.5 करोड़ किसानों तक पहुँच कायम करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि समग्र डिजिटल पहुँच को बढ़ाकर 2.5 करोड़ तक करने की परिकल्पना की गई है।

किसानों को योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़नाः यह अभियान किसानों को प्रमुख कृषि योजनाओं, सेवाओं और पद्धतियों से परिचित कराने के लिए लक्षित जागरूकता गतिविधियाँ संचालित करता है। इनमें पीएम-किसान, कीटनाशकों का संतुलित उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उर्वरकों की बिक्री से संबंधित लागू व्यवस्था तथा व्यापार समझौतों के संभावित लाभों की जानकारी देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह किसान पहचान पत्र बनाने एवं उन्हें अद्यतन करने में सहायता प्रदान करता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा कवरेज से संबंधित जानकारी का प्रसार करता है। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत संतृप्ति अभियान चलाकर पात्र किसानों को संस्थागत ऋण की सुविधा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है।

सामूहिक रूप से, इन पहलों का उद्देश्य सरकारी सहायता तंत्र के प्रति किसानों की जागरूकता बढ़ाना तथा आवश्यक कृषि सेवाओं, औपचारिक ऋण और जोखिम न्यूनीकरण के साधनों तक उनकी पहुँच में सुधार करना है। इसके माध्यम से कृषि आजीविका के संस्थागत एवं वित्तीय आधार को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

टिकाऊ कृषि की नींव को सुदृढ़ बनाना : खेत बचाओ अभियान-रबी 2026 मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन को कृषि विकास के केंद्र में स्थापित करने का इच्छुक है। वैज्ञानिक संस्थानों, सरकारी विभागों, विस्तार तंत्रों और कृषक समुदायों के बीच समन्वय के माध्यम से यह अभियान वैज्ञानिक ज्ञान को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कृषि पद्धतियों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसका एकीकृत दृष्टिकोण किसानों में जागरूकता, क्षमता निर्माण, खेतों में प्रदर्शन और डिजिटल आउटरीच जैसी गतिविधियों को शामिल करते हुए उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, प्रोंतिक खेती और इनपुट के कुशल उपयोग के साथ ही साथ यह अभियान फसल विविधीकरण, फसल अवशेष प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन पर भी विशेष बल देता है। संस्थागत समन्वय और किसानों की भागीदारी पर इसका विशेष ध्यान जमीनी स्तर पर कृषि विस्तार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा कृषि सेवाओं तक किसानों की पहुँच बढ़ाने में भी सहायक है।

ये पहलें संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित कृषि प्रणालियों, स्वस्थ मृदा और सुदृढ़ कृषि आजीविका को बढ़ावा देती हैं तथा विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त, यह अभियान विशेष रूप से शून्य भुखमरी (एसडीजी 2) और जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13) के लक्ष्यों सहित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति में सहायता प्रदान करता है।

भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में हुए बदलाव



पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में व्यापक परिवर्तन किया है। यह अब अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापरक बन गई है। इसका प्रभाव बिल्कुल जमीनी स्तर तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 1.39 लाख से अधिक परिवारों को लेकर किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि पहले की तुलना में अधिक भारतीय चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। बाह्य रोगी सेवाओं (ओपीडी) - जैसे परामर्श, निदान, जांच और दवा-पर्चे - के लिए सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जाने वाले लोगों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती लगभग आधे मरीजों के इलाज का खर्च 1,100 रुपये से कम है। सबसे गरीब परिवारों को भी इन संस्थानों में अपनी जेब से बहुत कम या शून्य खर्च वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। ये संकेत हैं कि लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर विश्वास पुनः सुदृढ़ हुआ है।

ऐसा संयोगवश नहीं हुआ है। सरकारी व्यय में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवस्थित उन्नयन ने भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ाया है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से लेकर स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के विस्तार तक, भारत ने पिछले 12 वर्षों में अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आधारशिला का व्यवस्थित रूप से पुनः निर्माण किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपनी विभिन्न रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्य-रक्षा योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को अधिक लक्षित और प्रभावी बना रहा है। एक नई एवं सुदृढ़ डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उभरते एकीकरण, स्वास्थ्य सेवा डिलीवरीगी को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों के प्रशिक्षण की क्षमता को दोगुने से भी अधिक बढ़ाया है। इन परिवर्तनों के केंद्र में विश्व का सबसे महत्वाकांक्षी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम - आयुष्मान भारत योजना है, जो वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।

आयुष्मान भारत रू प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज - आयुष्मान भारत - अर्थात् 'दीर्घायु भारत' - समाज के सभी वर्गों और जीवन के प्रत्येक चरण के लोगों को किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराता है। यह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा के रूप में उभरा है। आयुष्मान भारत की संरचना चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जो सामूहिक रूप से देशभर में निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करते हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जारी रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 प्रस्तुत की। इस नीति में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी विजन का प्रतिपादन किया गया। नीति ने स्वास्थ्य क्षेत्र की उभरती चुनौतियों, जिनमें गैर-संचारी रोगों की बढ़ती संख्या और उपचार लागत में वृद्धि शामिल है, को चिन्हित किया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) शुरू की। यह अब विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना के रूप में उभर चुकी है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत, अर्थात् लगभग 12 करोड़ हैं। यह बीमा इन परिवारों को स्वास्थ्य उपचार पर होने वाले बेहिसाब व्यय से सुरक्षा प्रदान करता है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ - सरकार सामान्य बीमारियों के कम विशेषज्ञतापूर्ण उपचार तथा जन-जागरूकता स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए

प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार कर रही है। प्रत्येक मोहल्ले और समुदाय तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित किए जा रहे हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था की आधारशिला हैं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार कर रहे हैं। इनके माध्यम से निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वासात्मक तथा उपशामक देखभाल सहित, व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) 12 प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल से कहीं आगे तक विस्तृत हैं। इनमें विभिन्न रोगों की जांच एवं प्रबंधन, मौखिक स्वास्थ्य देखभाल, नेत्र देखभाल, कान-नाक-गला संबंधी सेवाएँ तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल हैं। इन केंद्रों पर टेलीकंसल्टेशन, प्राथमिक स्तर की आपातकालीन एवं आघात देखभाल सेवाएँ, तथा निःशुल्क आवश्यक दवाएँ और नैदानिक जांच सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 540 करोड़ से अधिक लोगों की संचयी उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है।

जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार - वर्षों तक असम के बोंगाईगांव जिले स्थित लालमती उप-केंद्र 10 गाँवों के 10,000 से अधिक लोगों को केवल बुनियादी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में उन्नत किए जाने के बाद इसमें वास्तविक परिवर्तन आया। एएएम के रूप में इस केंद्र की सेवाओं का विस्तार किया गया, जिसमें गैर-संचारी रोगों की जांच, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, मौखिक एवं नेत्र देखभाल तथा आपातकालीन सेवाएँ शामिल की गईं। इन सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को टीम का नेतृत्व करने हेतु नियुक्त किया गया।

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्ष 2024 से इस क्षेत्र में रोके जा सकने वाले कारणों से होने वाली मातृ एवं शिशु मृत्यु के मामलों की संख्या शून्य दर्ज की गई है। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की संख्या आधे से भी कम रह गई है। संक्रामक रोगों तथा रक्ताल्पता (एनीमिया) के मामलों में भी कमी आई है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के माध्यम से महामारी संबंधी तैयारी - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि कोविड-19 महामारी के समय देखा गया था। ऐसे केंद्र रोग निगरानी, जांच तथा उपचार के प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। महामारी संबंधी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना का उल्लेखनीय विस्तार कर रही है।

25 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) भारत के सबसे बड़े अखिल-राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य एक सुदृढ़, सुलभ और आत्मनिर्भर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का विकास करना है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विस्तृत है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र - स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी कि भौतिक अवसंरचना। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को उनके अपने स्वास्थ्य संबंधी डेटा का स्वामित्व प्रदान करना है - जिससे यह डेटा पोर्टेबल, सुलभ और देश के किसी भी स्वास्थ्य प्रदाता के साथ उपयोग योग्य बन जाए। यह स्वास्थ्य संस्थानों, पेशेवरों और फार्मेसियों के लिए एक एकल विश्वसनीय स्रोत (सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ) स्थापित करता है, जिससे बेहतर चिकित्सकीय निर्णय और उपचार की निरंतरता सुनिश्चित होती है। यह एक राष्ट्रीय डेटाबेस भी तैयार करता है, जिसका उपयोग सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य रुझानों के विश्लेषण, चिकित्सा अनुसंधान के समर्थन और अधिक लक्षित हस्तक्षेपों के लिए कर सकती है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम), एक व्यापक और नागरिक-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है। इसे सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। एबीडीएम के केंद्र में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए-आभा) है - एक विशिष्ट 14-अंकीय स्वास्थ्य पहचान संख्या, जिससे नागरिकों के संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े होते हैं। नागरिक की सहमति के साथ, इन रिकॉर्ड्स को एबीडीएम नेटवर्क के किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कागज रहित और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएँ संभव होती हैं। एबीडीएम जनसंख्या स्तर पर अधिक प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को भी सक्षम बनाता है।

इस मिशन को इसके लॉन्च के बाद से तेजी से लागू किया जा रहा है। जून 2026 में एबीएचए से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स की संख्या 100 करोड़ को पार कर गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित आभा ऐप में क्यूआर-आधारित अपॉइंटमेंट पंजीकरण सेवा उपलब्ध है, जो अस्पतालों या क्लीनिकों में लंबी कतारों को कम करने में मदद करती है। यह रोगी के डेटा के सत्यापन में भी सहायता करता है।

विभिन्न प्रकार के विकार तथा व्याधियों को लक्षित करता रू राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अपने दो उप-मिशनों - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन-के माध्यम से विशिष्ट बीमारियों, जनसंख्याओं और स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने वाले लक्षित कार्यक्रमों का संचालन करता है। एनएचएम ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोग उन्मूलन और टीकाकरण के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है।

एनएचएम के केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना के तीव्र विस्तार और उन्नयन के कारण ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहले की तुलना में अधिक सक्षम हो गए हैं। वे पहले से अधिक लोगों





तक, अधिक स्थानों पर तथा बेहतर उपकरणों और डेटा के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचा रहे हैं। उनका कार्य कई लक्षित कार्यक्रम क्षेत्रों में फैला हुआ है। जिसकी शुरुआत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल से होती है।

मिशन इंद्रधनुष-मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था। यह उच्च जोखिम वाले जिलों और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित अभियानों के माध्यम से टीकाकरण न करवाई हुई तथा आंशिक रूप से टीकाकरण करवाई हुई आबादी को लक्षित करता है। यह कार्यक्रम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के अंतर्गत नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ करता है, जिससे कई जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। एनएचएम का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम प्रतिवर्ष 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है और 12 बीमारियों के विरुद्ध निःशुल्क टीके प्रदान करता है।

किफायती दवाओं और आपातकालीन परिवहन की उपलब्धता-स्वास्थ्य सेवा वास्तव में सुलभ और न्यायसंगत तब बनती है जब लोग उपचार के लिए आवश्यक दवाओं, परीक्षणों और परिवहन का खर्च वहन कर सकें। सरकार की तीन पहलों ने इन समस्याओं का सीधे समाधान किया है।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम कीमत पर गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराती है। ये दवाएँ देशभर में जनऔषधि केंद्रों (जेएके) पर खरीदी जा सकती हैं। इस पहल ने गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत कम कीमत-आमतौर पर 50-80% सस्ती पर उपलब्ध कराया है।

अमृत (उपचार के लिए सस्ते और विश्वसनीय इम्प्लांट्स एवं दवाएँ) फार्मेसी पहल 2015 में शुरू की गई थी। ये फार्मेसियाँ जीवनरक्षक और आवश्यक दवाएँ 50% से 90% की छूट पर उपलब्ध कराती हैं। इससे विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के रोगियों के लिए उपचार लागत में कमी आई है। अब तक 255 से अधिक आउटलेट्स के माध्यम से अमृत फार्मेसियों ने 6. 85 करोड़ से अधिक रोगियों को लाभ पहुँचाया है। इस योजना के तहत मरीजों ने लगभग ₹8,400 करोड़ की बचत की है।

सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क आवश्यक निदान पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य लोगों के डायग्नोस्टिक सेवाओं पर होने वाले खर्च को कम करना है। इस पहल के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के हर स्तर पर आवश्यक परीक्षण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

डायल 108 और डायल 102 सेवाएँ 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होती हैं। डायल 108 गंभीर देखभाल, आघात (ट्रॉमा) और दुर्घटना जैसी चिकित्सीय आपात स्थितियों को संभालती है। डायल 102 मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करती है तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के लाभार्थियों का एंड-टु-एंड प्रबंधन करती है।

साल 2014 से सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्राद्योगिकी के माध्यम से अंतिम-छोर (लास्ट-माइल) तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। अब भौगोलिक दूरी लोगों और उनके स्वास्थ्य के बीच बाधा नहीं रही है। पहले दूरस्थ गाँवों में रहने वाले मरीजों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना कठिन था, लेकिन अब वे वर्चुअल रूप से परामर्श ले सकते हैं। इस प्रयास में तीन प्लेटफॉर्म प्रमुख रहे हैं।

ई-संजीवनीरू राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा-ई-संजीवनी, भारत का राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, इस डिजिटल बदलाव के केंद्र में है। दूरस्थ या कम सेवा-प्राप्त क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अब स्मार्टफोन, कंप्यूटर या निकटतम प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं।

टेली-मानसरू फोन पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता-जो लोग मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की तलाश में हैं, उनके लिए सरकार द्वारा अक्तूबर 2022 में टेली-मानस टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। यह सेवा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल-जो ऐतिहासिक रूप से तिरस्कृत और संसाधन-सीमित रही है-को उन लोगों तक पहुँचाती है जो शहरों, जहाँ लंबे समय से यह उपचार केंद्रित रहा है, से बाहर रहते हैं। यह सेवा देशभर में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और उपचार सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाती है।

विकसित भारत 2047 की ओर-पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा अवसंरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा में निवेश ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत किया है। ये प्रयास देश को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। यह सरकार के आदर्श वाक्य - ''सबका साथ, सबका विकास''-का व्यावहारिक रूप में साकार होना है।

एक स्वस्थ जनसंख्या केवल नैतिक उपलब्धि नहीं है - यह एक आर्थिक उपलब्धि भी है। जब लोग चिकित्सा खर्चों के कारण गरीबी में नहीं धकेले जाते, तो वे अपने विकास पर अधिक खर्च कर सकते हैं। जब श्रमिकों का समय रोकी जा सकने वाली बीमारियों के कारण नहीं खोता, तो वे कार्यस्थल पर अधिक उत्पादक होते हैं। जब बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में जीवित रहते हैं और बेहतर पोषण प्राप्त करते हैं, तो वे सीखते हैं, कमाते हैं और समाज में योगदान देते हैं।

पिछले 12 वर्षों के लाभ आने वाली पीढ़ियों में और अधिक प्रभावी रूप से संचित होंगे। आज ऐसे स्वास्थ्य तंत्र में जन्म लेने वाले बच्चे, जहाँ लगभग सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज, सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ और प्रारंभिक रोग-जांच उपलब्ध है, अपने माता-पिता की तुलना में अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जिएँगे। वे आगे चलकर एक अधिक मजबूत स्वास्थ्य आधार को भी विरासत में प्राप्त करेंगे। भारत निरंतर ''विकसित भारत / 2047'' के अपने लक्ष्य-एक अधिक स्वस्थ, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र, जो प्रत्येक नागरिक के लिए हो - की ओर बढ़ रहा है ।

प्रदेश के श्रम विभाग की प्रभावी पहल से बाल श्रमिकों को मिल रहा है, नया जीवन



किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहां श्रमिकों, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास का अर्थ केवल बड़ी इमारतें और सड़कें नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव है। इसी सोच के साथ जनपद हमीरपुर में श्रम विभाग द्वारा विगत 9 वर्षों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, बाल एवं बंधुआ श्रम उन्मूलन, व्यवस्थित कार्य परिस्थितियां तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किया गया है। श्रम विभाग की सक्रियता का परिणाम है कि जहाँ एक ओर बाल एवं बंधुआ श्रम के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी ओर हजारों श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़कर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल्याणकारी नीतियों के तहत गत 9 साल की यात्रा केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि 535 बचपन को बचाने और हजारों परिवारों को सुरक्षित भविष्य देने की कहानी है। हमीरपुर जनपद में 499 सघन निरीक्षण से 535 बचपन को नया जीवन मिला। बाल एवं किशोर श्रमिकों के नियोजन को रोकने और बच्चों को शिक्षा एवं बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के उद्देश्य से संयुक्त टीमों द्वारा 499 सघन निरीक्षण किए गए। श्रम विभाग, पुलिस, चाइल्ड लाइन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने ढाबों, होटलों, कारखानों, ईंट भट्टों और दुकानों पर छापेमारी की। निरीक्षणों के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से 535 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया। ये वे बच्चे थे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें औजार थमा दिए थे। विभाग का प्रयास केवल इन बच्चों को श्रम से बाहर निकालने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास को भी सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इस कार्रवाई में अवमुक्त कराए गए सभी बच्चों का सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में नामांकन कराया गया और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया ताकि वे दोबारा बाल श्रम की ओर न जाएं। यह हमीरपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक-एक बच्चे को मुक्त कराना एक पूरे भविष्य को बचाना है। बंधुआ मुक्ति से सम्मानजनक जीवन की ओर श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जनपद में अन्य जनपदों से आए 18 घोषित बंधुआ श्रमिकों को अवमुक्त करा के पुनर्वास की कार्रवाई भी की गई। ये श्रमिक कर्ज के जाल में फंसकर बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर थे। विभाग ने श्रमिकों को शोषण एवं बंधन से मुक्त कराने के साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन की मुख्यधारा में वापस लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता, आवासीय सुविधा और रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया।

यह कार्रवाई इस संदेश के साथ की गई कि जनपद में किसी भी प्रकार के बंधुआ श्रम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रम कानूनों का सख्ती से अनुपालन श्रमिकों को उनका हक दिलाने के लिए विभाग ने श्रम कानूनों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया। आनुतोषिक भुगतान अधिनियम के तहत 11 निरीक्षणवेतन संदाय अधिनियम में 11 निरीक्षण समान पारिश्रमिक अधिनियम में 05 निरीक्षण मातृत्व हितलाभ अधिनियम में 02 निरीक्षण संविदा श्रम अधिनियम में 02 निरीक्षण बोनस भुगतान अधिनियम के तहत 01 निरीक्षण किया गया। इन प्रयासों का उद्देश्य श्रमिकों को निर्धारित वेतन, समय पर देय लाभ तथा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से मातृत्व हितलाभ के निरीक्षण ने महिला श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाले अधिकारों और छुट्टियों को सुनिश्चित किया गया जिससे कार्यस्थल पर महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला।

सामाजिक सुरक्षा से सुरक्षित भविष्य की नीति अपनाते हुए पेंशन की सौगात दी गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन बुढापे में उनके पास कोई आर्थिक सहारा नहीं होता। इस चिंता को दूर करने के लिए श्रम विभाग ने सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 6,415 श्रमिकों का नामांकन कराया गया। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। यह 6,415 नामांकन केवल संख्या नहीं, बल्कि 6,415 परिवारों के बुढ़ापे की चिंता को खत्म करने का संकल्प है।

इसी कड़ी में छोटे व्यापारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 190 व्यापारियों का नामांकन कराया गया। अक्सर देखा जाता है कि छोटा दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाला दिन-रात मेहनत करता है लेकिन उसके भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं होती। इस योजना से जोड़कर उसे भी पेंशन आधारित सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुआ है। पिछले 9 वर्षों में हमीरपुर श्रम विभाग की यह यात्रा दंडात्मक कार्रवाई से शुरू होकर कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंची है। 535 बाल श्रमिकों की मुक्ति, 18 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास, सैकड़ों निरीक्षण और 6,600 से अधिक लोगों को पेंशन योजना से जोड़ना यह साबित करता है कि जब प्रशासन संवेदनशील हो तो श्रमिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। यह सफलता की कहानी अन्य जनपदों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल है।

सकारात्मक सोच के साथ योग ध्यान प्राणायाम अपनाएं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें





मुकेश शर्मा

जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जीवन में सकारात्मक आचार-व्यवहार को अपनाना चाहिए। योग-ध्यान-प्राणायाम भी इसमें बड़ा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि आज की भाग-दौड़ भरी जिन्दगी और शार्ट कट से शीघ्र ही बहुत कुछ हासिल कर लेने की हसरत ने लोगों का सुख-चौन सहित मानसिक सुकून को भी छीन लिया है। यही बड़ी वजह है कि आज समाज में बहुत से लोग मानसिक रूप से अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लाभ और उसको हासिल करने के प्रति जागरूकता और जरूरी टिप्स देने के लिए ही हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को सामाजिक उपेक्षा, दुर्व्यवहार और भेदभाव से भी बचाने के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाना जरूरी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम- ''जीने के अनुभवों को सुना जाये, सच्ची आवाजें, सच्चा बदलाव'' तय की है। इसका उद्देश्य मानसिक रूप से अस्वस्थता महसूस कर चुके लोगों के अनुभवों और उनकी आपबीती को ध्यान से सुनना। इसके अलावा ऐसे लोगों की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों और सेवाओं में सक्रिय भागीदारी तय करनी चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आज भी समाज में कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं, जिनको दूर करने का संकल्प भी आज के दिन लेने की जरूरत है। मानसिक अस्वस्थता को लोग टोना-टोटका या ऊपरी साया से जोड़कर झाड़-फूंक आदि का सहारा लेने की गलती कर जाते हैं, जिससे यह स्थिति संभलने के बजाय और बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में झाड़-फूंक से बचकर अगर स्थानीय सरकारी अस्पतालों की मदद ली जाए तो वहां आवश्यक परामर्श से लेकर मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के अन्य कई विकल्प आसानी से मिल सकते हैं। इसके अलावा मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में किसी तरह के नशे का जोखिम भरा कदम कदापि नहीं उठाना चाहिए बल्कि जिसको भी अपना सबसे करीबी समझते हों उससे अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात करें। अकेले गुमसुम रहने से बेहतर है कि लोगों के बीच रहें और उनके साथ अपने विचारों को साझा करें।

मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं, विचारों, क्रियाकलापों, सोच-विचार और चुनौतियों से



भलीभांति निपटने के लिए उठाये जाने वाले कदमों से भी जुड़ा होता है। इसमें यदि कोई व्यक्ति अपने को असमर्थ महसूस करता है तो उसकी मदद को आगे आना चाहिए और उसको जरूरी परामर्श के साथ उससे सरलता से निपटने में सहायता करनी चाहिए। ऐसे में उसे किसी तरह के उपहास या मजाक का पात्र कदापि नहीं बनाना चाहिए बल्कि उसके साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ करने और उसके आचरण व व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए उसे योग, ध्यान और प्राणायाम के फायदे बताने के साथ उसे अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऐसे साथी या परिवार के सदस्य को चिकित्सक के पास ले जाने में मदद करनी चाहिए ताकि उसमें यह समझ विकसित हो सके कि यह किसी तरह की बीमारी या बड़ी समस्या नहीं है बल्कि इसका सही निदान संभव है।

किशोरों और युवाओं में अक्सर देखने को मिलता है कि किसी भी तरह की मनचाही चीज को हासिल न कर पाने या चुनौतियों से घबराकर वह अवसाद के चक्रव्यूह में फंसने लगते हैं, उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसी स्थिति में ही सच्चे दोस्त की जरूरत होती है जो यह समझा सके कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वह दूसरों के बारे में सोचें, इसलिए ऐसे विचार छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है और उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना है। अपनी चूक को समझना है और दोबारा से उस गलती को नहीं दोहराना है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म रिश्तों में दिखावटीपन या झूठा अपनापन का बड़ा कारण भी बन रहे हैं। आभाषी दुनिया में लगता है कि यही अपना सबसे करीबी है जबकि होता उससे उलट है। यही अपनापन कभी-कभी बड़े साइबर ठगी का शिकार भी लोगों को बना लेते हैं, जिसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए अपने और पराये में विभेद करने और लोगों से एक सीमित दायरे में ही घुलने-मिलने की जरूरत है ताकि कोई आपके मेलजोल का गलत फायदा न उठा सके।

मानसिक अस्वस्थता के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे- नींद कम आना, उलझन, घबराहट, हीन भावना से ग्रसित होना, जिन्दगी के प्रति नकारात्मक सोच का विकसित होना, एक ही विचार मन में बार-बार आना, एक ही कार्य को बार-बार करने की इच्छा होना, अनावश्यक डर लगना, शक होना, कानों में आवाज आना, मोबाइल और नशे की लत होना आदि। इस तरह के लक्षण नजर आने पर चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए ताकि समस्या को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। इसको लेकर कोई भ्रम या भ्रान्ति मन में नहीं पालनी चाहिए। यह भी जानना जरूरी है कि चिंता या तनाव किसी भी समस्या का समाधान कदापि नहीं हो सकता है, उल्टे यह कई अन्य दिक्कतों को जरूर पैदा कर सकता है। चिकित्सकों का स्पष्ट कहना है कि चिंता और तनाव से सिर दर्द, माइग्रेन, उच्च या निम्न ब्लड प्रेशर, ह्रदय से जुड़ी समस्याएं, मोटापा और चिडचिडापन की समस्या पैदा हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि तनाव व चिंता पैदा करने वाले कारणों से दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा भी आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ बना सकता है। लंबे समय तक रहने वाली शारीरिक बीमारियां भी मानसिक अस्वस्थता को उत्पन्न करती हैं। ऐसे में मानसिक रूप से अस्वस्थ को तनाव, अवसाद, गहन चिंता आदि को नियंत्रित करना चाहिए और नियमित स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए।

(लेखक पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)

आयुष्मान वय वंदना योजना के दो साल पूरे, बुजुर्गों के इलाज के लिए 5,668.80 करोड़ रुपए के उपचार स्वीकृत



आयुष्मान वय वंदना योजना ने 29 अक्टूबर को दो साल पूरे कर लिए। योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस अस्पताल उपचार की सुविधा दी जा रही है। 20 अक्टूबर 2026 तक योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के 23.46 लाख मामलों को मंजूरी दी गई, जिनके उपचार की स्वीकृत राशि 5,668.80 करोड़ रुपए रही।

29 अक्टूबर 2024 को हुई थी शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM&JAY) के दायरे में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार की इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को अस्पताल में इलाज के लिए आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर

योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल में भतर्ए होकर इलाज कराने के लिए प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। वहीं, पहले से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर परिवारों में शामिल 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को अपने लिए अलग से 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त कवर दिया जाता है। यह अतिरिक्त कवर परिवार के 70 वर्ष से कम आयु के सदस्यों के लिए उपलब्ध कवर से अलग है।

मोतियाबिंद के 4.71 लाख उपचार स्वीकृत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत मोतियाबिंद का इलाज सबसे अधिक कराया गया। इसके 4.71 लाख उपचारों को मंजूरी मिली, जो कुल स्वीकृत उपचारों का लगभग 20.1: है। इसके बाद किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए करीब 2.90 लाख क्रॉनिक हीमोडायलिसिस उपचार स्वीकृत किए गए।

हृदय रोग के उपचार के लिए 649 करोड़ रुपए मंजूर

योजना के तहत उपचार की स्वीकृत राशि के लिहाज से हृदय रोग से संबंधित एंजियोप्लास्टी प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल रही। इसके लिए करीब 649 करोड़ रुपए के उपचार स्वीकृत किए गए। इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) के गंभीर मामलों, तेज बुखार और किडनी की गंभीर चोट व गुर्दे की विफलता जैसी स्थितियों के उपचार भी योजना के तहत शामिल रहे।

बुजुर्गों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देना उद्देश्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल ने कहा कि आयुष्मान वय वंदना योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और मानसिक सुकून के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आर्थिक तंगी जरूरी अस्पताल उपचार में बाधा न बने।

स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर जोर

योजना के दो साल पूरे होने के साथ सरकार का जोर वरिष्ठ नागरिकों तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने और अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करने पर है। योजना के तहत स्वीकृत उपचारों के आंकड़े बताते हैं कि बुजुर्गों को आंखों के इलाज, किडनी संबंधी देखभाल और हृदय रोगों के उपचार सहित विभिन्न चिकित्सा सेवाओं में सहायता मिल रही है।

बॉलीवुड की नई जोड़ीः म्यूजिकल लव स्टोरी में पहली बार साथ स्क्रीन शेयर करेंगे आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया



बॉलीवुड गलियारों से एक बेहद रोमांचक खबर सामने आ रही है। अभिनेत्री तारा सुतारिया जल्द ही एक आने वाली बड़ी म्यूजिकल लव स्टोरी में अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। इस अनंतिम (अभी तक बिना नाम वाली) फिल्म का निर्देशन मिलाप मिलन ज़वेरी करेंगे। फिल्म निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर तारा सुतारिया को इस प्रोजेक्ट की फीमेल लीड के रूप में घोषित कर दिया है। यह फिल्म हिंसा, टकराव और तीव्र भावनाओं के बीच बुनी गई एक गहरे और जुनूनी रोमांस की अनूठी कहानी पेश करेगी।

आदित्य रॉय कपूर के फिल्म से जुड़ने की घोषणा के बाद, अब मेकर्स ने तारा सुतारिया के भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। एक तीव्र, हिंसक और गहरे जुनून वाली प्रेम कहानी के रूप में बताई जा रही यह फिल्म, बड़े टकरावों और भावनाओं के उतार-चढ़ाव के बीच प्यार की जटिलताओं को सामने लाएगी।

मिलाप मिलन ज़वेरी की फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ जुड़ेंगी तारा सुतारिया

'मरजावां' के बाद, इस फिल्म के ज़रिए तारा सुतारिया, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और डायरेक्टर मिलाप मिलन ज़वेरी एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इससे पहले अभिनेत्री ने टी-सीरीज़ के साथ 'एक विलेन रिटर्न्स' में भी काम किया था, और इस तरह यह फिल्म इस प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका तीसरा प्रोजेक्ट बन गई है।

फिल्म की कहानी के केंद्र में रोमांस, संगीत और भावनाएं हैं। उम्मीद है कि फिल्म का साउंडट्रैक कहानी को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। मेकर्स इस प्रोजेक्ट को एक तीव्र म्यूजिकल लव स्टोरी के रूप में पेश कर रहे हैं, जहाँ संगीत किरदारों के भावनात्मक सफर और उनके सामने आने वाले संघर्षों को और बेहतर ढंग से दिखाएगा।

आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी

खास बात यह है कि इस फिल्म के ज़रिए 'द नाइट मैनेजर' फेम आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नज़र आएंगे। उनकी यह जोड़ी इस प्रोजेक्ट के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जो तीव्र भावनाओं और हाई-स्टेक्स ड्रामा से भरी एक जुनूनी प्रेम कहानी का वादा करती है।

हालाँकि फिल्म की कहानी और बाकी कलाकारों के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मेकर्स ने यह साफ़ कर दिया है कि प्यार, जुनून और टकराव ही इस कहानी का मुख्य आधार होंगे।

फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू होगी

टी-सीरीज के सपोर्ट से बन रही यह फिल्म बहुत बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है, जिसका मकसद दर्शकों को सिनेमाघरों में एक शानदार अनुभव देना है। भूषण कुमार इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि मिलान मिलाप ज़वेरी इसका निर्देशन कर रहे हैं। शिव चनाना इसमें को-प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू होने वाली है और इसके 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।

तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर के प्रोजेक्ट्स

काम की बात करें तो, तारा सुतारिया को आखिरी बार यश की कन्नड़ एक्शन थ्रिलर 'टॉक्सिक' में देखा गया था, जिसमें उनके साथ कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और अन्य कलाकार भी शामिल थे। वहीं, आदित्य रॉय कपूर को आखिरी बार अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो इन डिनो' में देखा गया था, जिसमें अनुपम खेर और नीना गुप्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं।

VERTEX SOLUTIONS

Elevating Your Space, Celebrating Your Life, Protecting Your Home, Let The Sun Do The Work

CURATING THE IDEAL LIFESTYLE



REAL ESTATES
Discover Your Perfect Home

WHERE LOVE STORIES BECOME, LEGENDARY CELEBRATIONS



CELESTIAL CELEBRATIONS
Crafting Unforgettable Moments

YOUR SAFETY, OUR SURVEILLANCE



GUARDIAN SECURE
Your Peace of Mind, Protected

POWER TOMORROW WITH TODAY'S SUNSHINE



Solar Panel
Clean Energy, Clear Conscience

Call Us : 9838170767 | Add. D-2138, Old Picnic Spot Road, Indira Nagar, Lucknow

Dr Agarwals

Eye Hospital

जीवन को हाई डेफिनिशन में देखें:
अपनी आँखों की नियमित जांच करवाएं
नियमित रूप से

हम सूचीबद्ध हैं

आयुष्मान भारत योजना

सेवाएँ प्रदान की गई

- मोतियाबिंद
- कॉर्निया
- अपवर्तक
- बाल नेत्र रोग उपचार
- रेटिना
- ग्लूकोमा
- नेत्रप्लास्टी
- लेसिक
- भेंगापन
- ऑप्टिकल्स



ट्रिनिटी स्क्वायर, विजयपुर कॉलोनी, विभूति खंड, गोमती नगर,
किसान बाज़ार के पास, लखनऊ.

For Enquiries: 95322 45712

विरासत भी, विकास भी

अयोध्या

महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकास

श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण

भव्य दीपोत्सव में दीप प्रज्वलन का विश्व कीर्तिमान



विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP